जून 2015

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
रघुवीर श्रीवास्तव

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

प्रमुख सम्पादक
देवेन्द्र जोशी

परामर्श
शिवानी वर्मा

सम्पादक
रंजना चितले

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
अल्पना राठौर
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/ मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ
स्वच्छ भारत मिशन मध्यप्रदेश

इस अंक में

महिला सशक्तीकरण : मध्यप्रदेश में महिला सशक्तीकरण के ठोस प्रयास 3

युवा सम्मेलन : विकास के हर कदम पर सरकार का साथ 10

स्वच्छता : मध्यप्रदेश होगा तीन साल में खुले में शौच से मुक्त 14

बीमा योजना : सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ 20

कृषि महोत्सव : मध्यप्रदेश कृषि उत्पादक संगठनों के गठन में सबसे आगे 26

समीक्षा : एक पंचायत का होगा एक बैंक खाता 29

पहल : नीति आयोग का स्वरूप सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय 33

निःशक्त कल्याण - रायसेन में देश का सबसे बड़ा निःशक्तजन सहायता शिविर 36

समग्र : समग्र पोर्टल से पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन 38

जल संरक्षण : जनप्रतिनिधि पुनर्जीवित कर सकते हैं परंपरागत जल संस्कृति 44

पंचायत : पंचायत : विकास या शासन 46

स्वास्थ्य : एचआईवी और एड्स 47

आयुक्त की कलम से...

प्रिय पाठको,

महिला सशक्तीकरण की दिशा में सार्थक पहल करने वाले राज्यों में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। इसी दिशा में विगत दिनों भोपाल में महिला पंचायत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नयी महिला नीति 2015 जारी की। नयी महिला नीति में महिलाओं की सुरक्षा, समता, समानता, सम्मान और विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना प्राथमिकता से शामिल किया गया है। इस खबर को हमने 'महिला सशक्तीकरण' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं को न सिर्फ रोजगार उपलब्ध करा रही है बल्कि उनका कौशल उन्नयन कर उन्हें स्वरोजगार स्थापित कराने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा रही है। विगत दिनों युवाओं के रोजगार और विकास को लेकर भोपाल में युवा उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को योजनाओं की जानकारी के साथ शासकीय सहयोग के संबल और विकास पथ पर युवाओं का साथ देने का आह्वान किया वहीं कई युवा उद्यमी प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान से मुखातिब भी हुए। इस जानकारी को हमने 'युवा सम्मेलन' स्तंभ में प्रकाशित किया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री के इस संकल्प को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन चलाया है जिसका लक्ष्य अगले तीन वर्षों में मध्यप्रदेश को खुले में शौच से मुक्त कराना है। इसी तारतम्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गयी। इस कार्यशाला की विस्तृत जानकारी 'स्वच्छता' स्तंभ में प्रकाशित की गई है। आज रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ सुरक्षा भी जरूरी है। समाज के निम्न वर्ग तक इन बुनियादी जरूरतों को मुहैया कराना सरकार का सर्वप्रथम दायित्व है। इन सब बातों को ही ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरुआत की है। ये योजनाएँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना हैं। इन योजनाओं से देश के उन 80 से 90 प्रतिशत गरीब लोग लाभान्वित होंगे जिनकी पहुँच इन सुविधाओं तक नहीं थी। इस जानकारी को हमने 'बीमा योजना' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश में अग्रणी है इसकी वजह है प्रदेश सरकार कृषकों के लिए बेहतर योजनाएँ क्रियान्वित कर रही है और कृषि को लाभ का धंधा बना रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है जिसे 'कृषि महोत्सव' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। प्रदेश में पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाने के निरन्तर प्रयास जारी हैं। ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर से जोड़कर डिजिटाइज्ड किया जा रहा है ताकि उनके काम में पारदर्शिता हो। पंचायतों द्वारा किये गये कार्यों की नित्य समीक्षा मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री और विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही है जिसकी जानकारी 'समीक्षा' स्तंभ में प्रकाशित की गई है। बदलते परिदृश्य में विश्व स्तर पर भारत के विकास और कार्यशैली की प्रक्रिया में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया है। नीति आयोग के उद्देश्य और कार्य संरचना के लिए केन्द्र तथा प्रदेश में होने वाली बैठकों को हमने 'पहल' कॉलम में प्रकाशित किया है। विगत दिनों रायसेन जिले में देश का सबसे बड़ा निःशक्तजन सहायता शिविर आयोजित किया गया। इस खबर को हमने 'निःशक्तजन कल्याण' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। और अंत में स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज की नींव है इसलिए हमने 'स्वास्थ्य' स्तंभ में युवाओं के लिये एचआईवी एड्स जैसी प्राणलेवा बीमारी की जानकारी प्रकाशित की है।

इस अंक में बस इतना ही। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

(रघुवीर श्रीवास्तव)

महिला पंचायत

मध्यप्रदेश में महिला सशक्तीकरण के ठोस प्रयास

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 मई को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित द्वितीय महिला पंचायत में घोषणा की है कि महिला हिंसा के विरुद्ध बेहतर काम करने वालों को अरुणा शानबाग के नाम पर मध्यप्रदेश सरकार हर वर्ष एक लाख रुपये का पुरस्कार देगी। प्रदेश में पुलिस की भर्ती में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा। अन्य शासकीय नौकरियों में भी महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण पर विचार किया जायेगा। प्रदेश के हर जिले में हर वर्ष महिलाओं के लिये एक विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया जायेगा। पूरे प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान नये कलेवर में फिर से शुरू किया जायेगा। साथ ही स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में बेटी बचाओ के संबंध में अध्याय सम्मिलित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की नयी महिला नीति 2015 का विमोचन भी किया।

समाज के विभिन्न वर्गों से सीधे संवाद के लिए आयोजित पंचायतों के क्रम में ही महिला पंचायत का आयोजन किया गया। महिला पंचायत में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आयी महिलाओं ने भाग लिया। पंचायत में मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के हित और कल्याण के लिए कई घोषणाएँ की गयीं।

प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटियों के लिये कोचिंग की व्यवस्था - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि गाँवों और छोटे शहरों से जिला मुख्यालय और संभागीय मुख्यालयों में पढ़ने आने वाली बालिकाओं के आवास की व्यवस्था के लिये राज्य सरकार उन्हें संभागीय मुख्यालय पर 2000 रुपये प्रतिमाह तथा जिला मुख्यालय पर 1,250 रुपये प्रतिमाह की सहायता देने की योजना लागू करेगी। अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाली बेटियों की कोचिंग की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। हायर सेकेण्डरी की परीक्षा में मेरिट में आने वाली बेटियों की उच्च शिक्षा का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। युवा उद्यमी योजना में उद्योग स्थापित करने के लिये बेटियों के ऋण की गारंटी राज्य सरकार लेगी तथा पाँच वर्ष तक छह प्रतिशत ब्याज अनुदान भी भरेगी। हर

- **अरुणा शानबाग के नाम पर मध्यप्रदेश सरकार हर वर्ष देगी पुरस्कार।**
- **पुलिस की भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण।**
- **स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में बेटी बचाओ होगा शामिल।**
- **महिला नीति 2015 का विमोचन।**
- **महिला पंचायत में महिलाओं के सुझावों पर अमल की घोषणाएँ।**

वर्ष 50 हजार बेटियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।

सभी जिला मुख्यालय पर झूलाघर - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि प्रदेश के सभी 51 जिला मुख्यालयों पर झूलाघर की स्थापना की जायेगी। बेहतर काम करने वाले महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। महिल स्व-सहायता समूहों को शासकीय संस्थाओं में भोजन बनाने के कार्य में प्राथमिकता देने की नीति बनायी जायेगी। प्रोजेक्ट उदिता के तहत महिला स्व-सहायता समूह को सेनेटरी नेपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टल बनाये जायेंगे। यदि किसी महिला को आकस्मिक रूप से किसी शहर में रुकना पड़े और वह पुलिस की महिला हेल्पलाइन पर फोन करेगी तो उसके सुरक्षित रुकने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी।

मातृत्व-शिशु पालन के लिये महिला कर्मियों को दो वर्ष का अवकाश - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि कुपोषण की रोकथाम के लिये जनभागीदारी से उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जायेगा। सभी 51 जिलों में शौर्या दल गठित किये जायेंगे। हर वर्ष बाल विवाह रोकने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को इक्यावन-इक्यावन हजार रुपये के दस पुरस्कार दिये जायेंगे। जिन ग्रामों में बेटों से ज्यादा बेटियाँ जन्म लेंगी उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा। हिंसा से प्रभावित महिलाओं के पुनर्वास के लिये इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, रीवा और सागर में ऊषा किरण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। शासकीय महिला कर्मचारियों को उनके पूरे सेवाकाल में मातृत्व-शिशु पालन अवकाश के रूप में दो साल का अवकाश दिया जायेगा। शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को जेण्डर संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जायेगा। महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार की शिकायत शासकीयकर्मियों की गोपनीय चरित्रावली में दर्ज की जायेगी। शासकीय विभागों की कर्मचारी परामर्शदात्री समितियों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। महिलाओं के प्रति होने वाले जघन्य अपराधों में जल्दी और कड़ी सजा मिले इसके लिये कानूनों में संशोधन कर उपाय किये जायेंगे। इस संबंध में केन्द्र सरकार से भी बात की जायेगी। सभी पुलिस थानों में महिला डेस्क गठित की जायेंगी। वर्तमान में प्रदेश में 141 थानों में महिला डेस्क हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार बेटियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिये कृत संकल्पित है। महिलाओं के जीवन के हर पड़ाव पर उनकी मदद के लिये राज्य सरकार ने योजनाएँ बनाई हैं। उन्होंने कहा कि महिला पंचायत में आये सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा और योग्य सुझावों को लागू किया जायेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि पहली महिला पंचायत की 14 घोषणाएं पूरी कर दी गयी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रमुख सचिव श्री कंसोटिया ने विभागीय योजना की चर्चा की। आयुक्त महिला सशक्तीकरण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने महिला पंचायत की भूमिका और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

महिलाओं ने बेझिझक रखी अपनी बात - श्रीमती सविता चौहान ने कहा कि स्पेशल कोर्ट बनाया जाये। महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने पर अपराधियों के लिए कठोर कानून बनायें। जबलपुर की अपर्णा वर्मा ने कहा कि महिलाओं को उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और अपना व्यवसाय शुरू करने वित्त की व्यवस्था होनी चाहिए। रेखा दाहिमा (मंदसौर) ने कहा कि बाँछड़ा समुदाय के लिए आरक्षण होना चाहिए। सुश्री कृष्णकांता तोमर ने कहा कि संभाग में नारी

निकेतन केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। अर्चना राठौर (झाबुआ) ने कहा कि झाबुआ में पलायन की समस्या को रोकने के लिये दहेज़ की समस्या खत्म करना जरूरी है। संगीत देसाई (आगर) ने कहा कि निराश्रित, परित्यक्ता महिलाओं को उद्योग के लिए वित्तीय सहयोग मिलना चाहिए।

सरिता देशपांडे (भोपाल) ने कहा कि महिलाओं के लिये हर जिले में सर्वसुविधायुक्त आश्रय बनाये जाना चाहिए। सुश्री संतोष पवार (सतना) ने महिला बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया। सुश्री गायत्री नगपुरे (बालाघाट) ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाये जाने का सुझाव दिया। सुश्री उमा भार्गव (भोपाल) ने कहा कि प्रशासन को भी महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिये। सुश्री सबा रहमान (ग्वालियर) का सुझाव था कि भ्रूण हत्या रोकने में अच्छा काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाना चाहिए। श्रीमती प्रीति पाटीदार (उज्जैन) का कहना था कि आर्थिक सशक्तीकरण के लिये महिला उद्यमियों को हर मार्केट में दुकान दी जानी चाहिए। रीता सिंह (सिंगरौली) ने कहा कि परित्यक्ता महिलाओं के स्व-रोजगार के लिए पहल भी होना चाहिए। श्रीमती अंजू दात्रे (ग्वालियर) ने कहा कि शराब के ठेके स्थान विशेष पर होना चाहिए। किरण गहलोत (आगर) ने अविवाहित और विकलांग महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा को रोकने के कड़े कानूनों के प्रावधान की वकालत की।

मुख्यमंत्री ने डिंडोरी में तेजस्विनी महिला स्व-सहायता समूह द्वारा कोदो-कुटकी उत्पाद की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने 'हौसलों की उड़ान' पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाल भवन के बच्चों की बेटियों के महत्व पर केंद्रित नृत्य नाटिका से हुई। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले, पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी, पूर्व मंत्री श्रीमती रंजना बघेल, मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव श्री जे.एन. कंसोटिया, श्रीमती साधना सिंह चौहान तथा बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएँ उपस्थित थीं।

वर्ष में एक बार होगी विशेष महिला ग्राम सभा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिला पंचायत में महिला नीति 2015 की घोषणा की गयी। घोषित नीति के बिन्दुओं में शामिल है - वर्ष में एक बार विशेष महिला ग्राम सभा होगी। प्रत्येक विभाग वार्षिक प्रतिवेदन में महिला नीति के बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही का सार एक अध्याय के रूप में प्रकाशित करेगा। नीति का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित होगा।

नीति में विशेष महिला ग्राम सभाओं में पारित प्रस्ताव और शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जायेगा। नीति का क्रियान्वयन करने वाले विभागों और संगठनों के कर्मियों को जेण्डर संवेदनशीलता प्रशिक्षण दिया जायेगा। नीति में महिला संबंधी विषयों पर बनाये गये पोर्टल के निरंतर उन्नयन का प्रावधान है। इससे सुसंगत, अद्यतन एवं संभावित कार्यवाही को एक जगह देखा जा सकेगा और नियंत्रण किया जा सकेगा। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विभाग एवं संगठन में नोडल अधिकारी नियुक्त कर उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी को प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत किया जायेगा और कार्य न करने पर सख्त कार्यवाही होगी।

नीति में महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम, योजनाओं एवं विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्य-योजना और रणनीति बनाई जायेगी। इसकी समय-सीमा भी तय की जायेगी। निरंतर मॉनीटरिंग करने के लिए प्रत्येक विभाग में निगरानी तंत्र स्थापित होगा।

महिला नीति में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित निर्देशों और विधियों को संधारित किया जायेगा। विभागीय प्रावधानों का मीडिया के जरिये सघन प्रचार-प्रसार होगा। महिला नीति के बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही विभागों के प्रतिवेदन में एक अध्याय के रूप में शामिल होगी। इन प्रतिवेदनों के आधार पर महिला-बाल विकास विभाग सभी विभागों द्वारा की गई कार्यवाही का समग्र प्रतिवेदन तैयार करेगा। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक स्तर के संबंध में डेटाबेस तैयार किया जायेगा। इसके आधार पर निर्णय लिये जा सकेंगे। सभी विभाग अपने विभागीय बजट में महिला नीति के बिन्दुओं के अनुसार घटकों का आकलन कर बजट में शामिल करेंगे।

पहली महिला पंचायत की घोषणाएँ पूरी

प्रदेश की पहली महिला पंचायत में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की 14 घोषणाओं पर हुए अमल से महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर हुई हैं। वर्ष 2006 में हुई महिला पंचायत में मुख्यमंत्री द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना की घोषणा की गयी थी। इस एक योजना से मध्यप्रदेश को न केवल राष्ट्रव्यापी लोकप्रियता मिली, बल्कि सात राज्यों ने इसे अपनाया और प्रदेश में बालिकाओं को लेकर सोच में बदलाव आया। यह जानकारी महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने दी।

पंचायत की घोषणा थी बहुप्रशंसित लाड़ली लक्ष्मी - मंत्री श्रीमती सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पहली महिला पंचायत में जो घोषणाएँ की थीं, वह पूरी हो गई हैं और इनके सुखद परिणाम भी सामने आये हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना भी इसी पंचायत की देन है। इस योजना में अभी तक 20 लाख बच्चियाँ लाभान्वित हुई हैं। यही नहीं, इस एक योजना से बालिका के जन्म, शिक्षा और विवाह तक की एक आदर्श व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली महिलाओं के नाम पात्रता के आधार पर सूची में जोड़े गये। आँगनवाड़ी पोषण-आहार के वितरण में पारदर्शिता लाने की घोषणा की गई थी। आज पोषण-आहार की पूरी व्यवस्था न केवल पारदर्शी बनायी गयी है, बल्कि उसकी जवाबदेही भी तय की गयी है।

निकायों में 50 फीसदी आरक्षण - आज 1,66,610 निर्वाचित महिला जन-प्रतिनिधि महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिये मुख्यमंत्री ने पंचायत में नगरीय निकाय और पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी। आज मध्यप्रदेश में इस घोषणा के अमल होने पर स्थानीय निकायों में 2,870 पंचायतों में एक लाख 63 हजार 740 महिलाएँ चुनकर आयी हैं। यह सभी अपने-अपने नगर और गाँवों को सँवारने में सक्रिय हिस्सेदारी कर रही हैं।

25 विभाग में जेंडर बजट - जेंडर बजट की अलग प्रस्तुति

मुख्यमंत्री ने हर विभाग में महिलाओं के लिये अलग से बजट देने की घोषणा की थी। आज प्रदेश में 25 विभागों ने जेण्डर बजट प्रणाली को लागू किया है।

मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य है, जो विधानसभा में अलग से जेण्डर बजट प्रस्तुत करता है। बालिका भ्रूण हत्या के मामले में सूचना देने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा की गयी थी। राज्य शासन द्वारा इस घोषणा के पालन में सूचना देने वाले को प्रथम चरण में 50 हजार रुपये का पुरस्कार और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होने के बाद 50 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश में बालिका भ्रूण हत्या पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिली है। घोषणा के अनुसार महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

पुलिस में 30 प्रतिशत आरक्षण - 141 थानों में महिला डेस्क - महिलाओं को सुरक्षा मिले, उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों पर तत्परता से कार्रवाई हो, इस संबंध में भी महिला पंचायत में मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणाएँ की थीं। पुलिस बल में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने और महिलाओं की शिकायत के लिये प्रदेश के 141 पुलिस थाने में महिला डेस्क की स्थापना की गई।

महिला हेल्प-लाइन 1090 प्रारंभ- विक्टिम सपोर्ट सिस्टम लागू

महिलाएँ निडर होकर अपने विरुद्ध होने वाले अपराधों की शिकायत कर सकें, इसके लिये एक जनवरी, 2013 से राज्य-स्तरीय महिला हेल्प-लाइन 1090 प्रारंभ की गई है।

इसके जरिये 24 घंटे के अंदर शिकायत का फॉलोअप किया जाता है। महिलाओं पर होने वाले अपराधों के गवाहों को सुरक्षा देने के लिये विक्टिम सपोर्ट सिस्टम लागू करने के संबंध में सभी संबंधित इकाई को परिपत्र जारी किया गया है।

महिला नीति-2015

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद् की बैठक में 2 जून को महिला नीति-2015 को मंजूरी दी गई। नीति में महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने, लिंग आधारित विभेदकारी स्थितियों को समाप्त करने, व्यवसायमूलक क्षमता एवं कौशल विकास गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का प्रयास होगा। विकास के संसाधनों पर नियंत्रण तथा निर्णय में भागीदारी सुनिश्चित करने, जीवन कौशल, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए गुणवत्ता पूर्ण सेवाएँ उपलब्ध करवाने और सम्पत्ति संबंधी अधिकारों के संरक्षण को नीति में शामिल किया गया है। प्रस्तुत है महिला नीति 2015 -

1. प्रस्तावना

मध्यप्रदेश शासन महिलाओं की समानता, सुरक्षा, स्वतंत्रता, उनके लिए न्याय, विकास एवं सशक्तीकरण के लिये प्रतिबद्ध है। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक सशक्तीकरण एवं विकास के लिए संचालित लाईफ साईकिल अप्रोच आधारित प्रदेश के अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं की देश में अलग पहचान बनी है।

मध्यप्रदेश शासन का लक्ष्य महिलाओं का पूर्ण सशक्तीकरण है। राज्य की महिला नीति की मूल अवधारणा महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, जिससे उनके साथ विद्यमान विभेदकारी असमानता की स्थिति समाप्त हो, महिलाओं के प्रति समानता एवं सम्मान की भावना एवं उनकी सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं विकास में समान भागीदारी सुनिश्चित हो।

2. मध्यप्रदेश में महिलाओं की स्थिति

प्रदेश में महिलाओं के विकास के विभिन्न संकेतकों में सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर स्त्री-पुरूष अनुपात 1000 पर 940 है जो मध्यप्रदेश में 931 है। (ग्रामीण जनसंख्या में 936 तथा शहरी जनसंख्या में 918)। मध्यप्रदेश में कुल लिंगानुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2001 में लिंगानुपात 919 था जो कि वर्ष 2011 में बढ़कर 930 हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार 0-4 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात वर्ष 2010-11 में 911 था जो वर्ष 2012-13 में 916 हो गया है। प्रदेश में वर्ष 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर 20.3 प्रतिशत है, जो पुरुषों में 19.6 प्रतिशत तथा महिलाओं में पुरुषों से अधिक 21 प्रतिशत है।

देश की महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में 53.7% थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 65.5% हो गई (ग्रामीण क्षेत्र में 58.8 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 79.9 प्रतिशत) है। मध्यप्रदेश में महिला साक्षरता वर्ष 2001 में 50.30 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 59.2 प्रतिशत हो गई है (ग्रामीण क्षेत्र में 52.4 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 76.50 प्रतिशत)। वर्ष 2001 में महिला एवं पुरुष की साक्षरता दर में अंतर 25.80 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में घटकर 20.00 प्रतिशत हो गया है।

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2010-11 में 310 प्रति लाख थी जो घटकर वर्ष 2011-12 में 277 प्रति लाख तक आ गई है।

मध्यप्रदेश में बाल विवाह की स्थिति नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अनुसार 2007-2008 में 53.70 प्रतिशत थी जो 2012-13 में घटकर बालकों का प्रतिशत 21.30 एवं बालिकाओं का प्रतिशत 10.60 रह गया है। विभिन्न सूचकांकों में यह सकारात्मक परिवर्तन समाज की सकारात्मक सोच को इंगित करता है।

महिलाओं को राजनैतिक रूप से सशक्त करने के लिये पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। महिला जनप्रतिनिधियों की निर्णय क्षमता विकसित करने के लिए ओरियेन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। वन समितियों में भी 50 प्रतिशत महिलाओं को स्थान दिया गया है।

3. महिला नीति की अभिकल्पना

3.1 समता, सम्मान, न्याय एवं सुरक्षा।

3.2 सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तीकरण।

3.3 गरिमा पूर्ण जीवन एवं निर्णय लेने का अधिकार।

4. महिला नीति के उद्देश्य

4.1 महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना।

4.2 लिंग आधारित विभेदकारी स्थितियों को समाप्त करना।

4.3 गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा जो व्यवसाय मूलक हो तथा क्षमता एवं कौशल विकास करे, प्रदान करना।

4.4 रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

4.5 विकास के संसाधनों पर नियंत्रण तथा निर्णय में भागीदारी सुनिश्चित करना।

4.6 सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करना।

4.7 जीवन कौशल, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना।

4.8 सम्पत्ति संबंधी अधिकारों का संरक्षण।

5. मध्यप्रदेश शासन द्वारा महिलाओं के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनायें एवं कार्यक्रम

महिला सशक्तीकरण मध्यप्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं के हित में संचालित विभिन्न कार्यक्रम एवं नवाचारी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

5.1 सामाजिक सशक्तीकरण

बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्माण के लिये "लाड़ली लक्ष्मी योजना" संचालित है जिसमें 20 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। "बेटी बचाओ अभियान" और "स्वागतम् लक्ष्मी योजना", "कन्या अभिभावक पेंशन योजना" के द्वारा समाज की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। बाल विवाह की रोकथाम के लिये "लाड़ो अभियान" के माध्यम से वर्ष 2014-15 में 1511 बाल विवाह रोके गये एवं 41 प्रकरण पुलिस में दर्ज कराये गये। बेटियों की शिक्षा-दीक्षा के लिये "गांव की बेटी योजना" एवं "प्रतिभा किरण योजना" संचालित है। "मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना" के माध्यम से गरीब परिवार की बेटियों के विवाह कराये जा रहे हैं। संस्थागत प्रसव के लिये "जननी सुरक्षा कार्यक्रम" अन्तर्गत जननी एक्सप्रेस संचालित की जा रही है। प्रदेश में 9506 "शौर्या दलों" के 95060 पुरुष एवं महिला सदस्य समाज में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

खेल के क्षेत्र में प्रदेश में "महिला हॉकी अकादमी" स्थापित की गई है। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम अन्तर्गत "उषा किरण योजना" संचालित की जा रही है। विभिन्न इकाइयों, संरक्षण अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, पुलिस, चिकित्सक एवं सेवा प्रदाताओं को सघन प्रशिक्षण दिया गया है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा महिलाओं के प्रति अपराधों पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से पुलिस थानों में महिला डेस्क, विशेष महिला थाना, 1090 महिला कॉल सेन्टर स्थापित किये गये हैं। थाना स्तर पर 141 महिला डेस्क की स्थापना की गई है जहां महिला पुलिस महिलाओं की शिकायत सुनकर उनकी मदद करती है। वर्ष 2013 में 3725 तथा वर्ष 2014 में 4135 शिकायतें "महिला डेस्क" द्वारा दर्ज की जाकर निराकृत की गईं। "महिला हेल्प लाईन" के माध्यम से वर्ष 2015 में 8020 शिकायतों का निराकरण किया गया है।

हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त करने तथा पीड़ा से उबारने के लिये अधिकारियों को परामर्श कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बालिकाओं को आत्म सुरक्षा और आत्म विश्वास के लिए मार्शल आर्ट व जूडो प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

5.2 आर्थिक सशक्तीकरण

ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। "तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम" के अन्तर्गत 12759 महिला समूहों को विभिन्न योजनाओं से जोड़कर आर्थिक उपार्जन के साधन उपलब्ध कराये गये हैं। इनके 60 फेडरेशन गठित हुए हैं जिनमें 166000 महिलाएं जुड़ी हैं। इनके द्वारा 24 करोड़ रुपये की बचत की गई है। मध्यप्रदेश में शासकीय सेवाओं मे महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए महिलाओं को कृषि कार्यों, वनोपज, ग्रामोद्योग, विपणन एवं मंडी संबंधी आय उपार्जन गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। शिक्षा विभाग में 50 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया जा रहा है।

5.3 राजनैतिक सशक्तीकरण

महिलाओं के राजनैतिक सशक्तीकरण के प्रयासों का यह परिणाम है कि केवल आरक्षित स्थानों पर ही नहीं बल्कि अनारक्षित स्थानों पर भी महिलायें नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधि चुनी गई हैं।

5.4 शैक्षणिक सशक्तीकरण

बालिकाओं के शैक्षणिक उन्नयन के लिये "निःशुल्क साईकिल वितरण", "निःशुल्क गणवेश वितरण योजना" एवं अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की बेटियों की शिक्षा निरंतर रखने के लिये "बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना" चलाई जा रही है। "उच्च अध्ययन के लिए स्कालरशिप" दिये जाने का प्रावधान भी किया गया है। बालिकाओं के लिए "गांव की बेटी योजना", "प्रतिभा किरण योजना" तथा स्कालरशिप संबंधी कई योजनाएं जैसे "अनुसूचित जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन, इकलौती बेटी छात्रवृत्ति, मेधावी छात्रा प्रोत्साहन योजना, निःशक्तजन छात्रवृत्ति, पितृहीन छात्राओं को छात्रवृत्ति, बालिका छात्रावास योजना, छात्रा आवास योजना आदि का प्रावधान किया गया है। बालिकाओं को स्कूल चलो अभियान से भी जोड़ा गया है।

6. महिला नीति : क्रियान्वयन तंत्र

महिलाओं से संबंधित नीति, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं विधियों का समस्त विभागों/संगठनों द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन कर उनकी निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना आवश्यक है। कार्ययोजना तैयार कर उनका समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित किया जा रहा है।

6.1 नीतिगत प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विभागों एवं संगठनों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी या कर्मचारी को प्रेरित एवं पुरस्कृत करना एवं कार्य न करने पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना।

6.2 महिलाओं के अधिकारों से संबंधित समस्त निर्देशों एवं विधि आदि संधारित करना।

6.3 विभागीय प्रावधानों का मीडिया के माध्यम से सघन प्रचार-प्रसार।

6.4 वर्ष में एक बार विशेष महिला ग्राम सभा आयोजित करना। साथ ही ऐसी ग्राम

सभा में पारित प्रस्तावों एवं शिकायतों का त्वरित निराकरण।

6.5 राज्य महिला संसाधन केन्द्र द्वारा महिला नीति के तहत सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करना।

6.6 महिला संबंधी विषयों पर पोर्टल का निरंतर उन्नयन ताकि सुसंगत एवं अद्यतन जानकारियां तथा संभावित कार्यवाहियों को एक जगह से देखा एवं नियंत्रित किया जा सके।

6.7 **क्षमता विकास**

महिला नीति का क्रियान्वयन करने वाले विभागों तथा संगठनों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने हेतु जेण्डर संवेदनशीलता प्रशिक्षण।

6.8 **पक्ष समर्थन (एडवोकेसी) एवं भागीदारी**

महिलाओं के हितरक्षण के लिये सभी हितधारकों यथा व्यक्तियों, परिवारों, स्थानीय समुदाय, अशासकीय सामाजिक संगठनों, मीडिया सहित विभिन्न विभागों की सक्रिय समन्वित सहभागिता के प्रयास किये जायेंगे।

6.9 **अनुसंधान, प्रलेखन**

बालिकाओं और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान एवं प्रलेखन किया जावेगा। प्रत्येक विभाग महिला नीति के बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही का सार विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में एक अध्याय के रूप में अनिवार्यतः सम्मिलित करेगा। इन प्रतिवेदनों के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग सभी विभागों द्वारा की गई कार्यवाही का समग्र प्रतिवेदन तैयार करेगा। यह कार्य स्टेट रिसोर्स सेन्टर फॉर वूमेन (एस.आर.सी.डब्ल्यू.) द्वारा किया जायेगा। महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर के संबंध में डेटाबेस तैयार किया जावेगा ताकि प्रमाण एवं साक्ष्य के आधार पर निर्णय हो सके।

6.10 **संसाधनों का आवंटन (Allocation)**

महिला नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये अतिरिक्त भौतिक, वित्तीय एवं मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी। समस्त विभाग अपने विभागीय बजट में महिला नीति के बिन्दुओं के अनुसार महिला घटकों का आकलन कर बजट में शामिल करेंगे।

7. महिला नीति का पुनर्विलोकन

7.1 सभी विभाग अपने क्षेत्राधिकार में महिला नीति संबंधी निर्देशों की प्रगति की निरंतर समीक्षा कर महिला सशक्तीकरण संचालनालय के साथ सक्रिय रूप से समन्वय स्थापित करेंगे।

7.2 समस्त विभाग अपनी स्वयं की क्रियान्वयन रणनीति एवं निगरानी तंत्र स्थापित करेंगे।

7.3 विभागों को महिलाओं से संबंधित मुद्दों की पहचान कर उनका यथोचित समाधान करेंगे।

7.4 सतत समीक्षा एवं आवश्यकता अनुसार नीतियों का निर्धारण।

महिला नीति में महिलाओं की सुरक्षा, समता, समानता, सम्मान और विकास की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना प्राथमिकता से शामिल किया गया है।

महिला नीति की अभिकल्पना अनुसार इस महत्वपूर्ण कार्य को क्रियान्वित करने के लिए सरकारी विभागों, मीडिया, समाज सेवी संस्थाओं, संगठनों, लेखक, साहित्यकार,

आदिवासी महिलाओं का कोदो-कुटकी उत्पाद भारती ब्राण्ड से मार्केट में

डिण्डोरी जिले की आदिवासी महिलाओं द्वारा स्व-सहायता समूहों के जरिये किये जा रहे कोदो-कुटकी उत्पाद को भारती ब्राण्ड से मार्केट में बेचा जायेगा। उत्पाद का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 19 मई को दूसरी महिला पंचायत में किया गया।

डिण्डोरी जिले के 41 गाँवों की बैगा आदिवासी महिलाओं ने तेजस्विनी कार्यक्रम के जरिये कोदो-कुटकी की खेती शुरू की। वर्ष 2012 में 1,497 महिलाओं ने प्रयोग के तौर पर 748.5 एकड़ भूमि पर 50 लाख 73 हजार की लागत से कोदो-कुटकी की खेती की थी। इसमें 2245.5 क्विंटल उत्पादन हुआ। इससे महिलाओं को 39 लाख 9 हजार रुपये का फायदा हुआ। इस सफलता से प्रेरित होकर वर्ष 2013-14 में 7,500 महिलाओं ने 3,750 एकड़ में कोदो-कुटकी की खेती की। उन्होंने 15 हजार क्विंटल कोदो-कुटकी का उत्पादन किया। आदिवासी महिलाओं को इससे 4 करोड़ 12 लाख रुपये का मुनाफा हुआ।

तेजस्विनी कार्यक्रम के जरिये इन महिलाओं के उत्पाद को बाजार में बेहतर मूल्य मिले, इसके लिये भारती ब्राण्ड से कोदो-कुटकी की मार्केटिंग करने का निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोदो-कुटकी की बेहद माँग है। डायबिटीज नियंत्रण, किडनी फंक्शन को बेहतर बनाने और गॉलब्लेडर को ठीक रखने में कोदो-कुटकी असरकारक आहार है। चूँकि यह जैविक उत्पाद है, इसलिये यह रासायनिक उर्वरक और कीट-नाशक के प्रभावों से भी मुक्त है।

विकास के हर क

मुख्यमंत्री से युवाओं की मुलाकात

दूसरों को रोजगार देकर मिसाल बनें युवा उद्यमी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 मई को स्वयं का रोजगार शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं का आव्हान किया कि वे मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना का लाभ लेते हुए अपना काम शुरू करें। बैंक लोन वापस करने की गारंटी राज्य सरकार लेगी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं के शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिये राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने युवाओं का आव्हान किया कि वे रोजगार माँगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बनें और अपने काम-धंधे में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करें। अपने निवास पर मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना हितग्राही पंचायत को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने युवा स्व-रोजगारियों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि कड़ी मेहनत, धैर्य और उत्साह सफलता के तीन प्रमुख कारण हैं। युवा उद्यमियों और स्व-रोजगारियों की क्षमता और प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राज्य सरकार हर पड़ाव पर सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि स्व-रोजगारियों की अभूतपूर्व सफलताएँ ही मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना का उद्देश्य है। स्व-रोजगारियों को ऋण देने में सहयोगी बने बैंकों को धन्यवाद देते हुए श्री चौहान ने कहा कि 31 हजार स्व-रोजगारियों द्वारा स्थापित रोजगारों की लागत 800 करोड़ से ज्यादा है। यह सिलसिला हितग्राहियों की संख्या बढ़ने के साथ आगे बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री ने युवाओं की शिक्षा के लिये प्रदेश के युवा उद्यमी मुख्यमंत्री से मिलकर गदगद हो गये। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी युवा उद्यमियों और स्व-रोजगार हितग्राहियों की सफलता की कहानी सुनकर भाव-विभोर हो गये। 20 मई को मुख्यमंत्री निवास पर युवा उद्यमी सम्मेलन में उद्यमियों ने बताया कि पहले जहाँ वो दूसरों की नौकरी करते थे आज वे खुद दूसरों को नौकरी दे रहे हैं। इससे उनके जीवन की दिशा और दशा बदल गयी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान को मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों के सम्मेलन में प्रदेश के कोने-कोने से आये युवाओं ने बड़े उत्साह से अपनी सफलता की बात कही। मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि युवाओं को आत्म-निर्भर बनाने में सरकार कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेगी। हितग्राहियों के बीच जाकर उनसे रु-ब-रू भी हुए। साथ ही उन्हें रोजगार-धंधे में सफलता के सूत्र बताये और शुभकामनाएँ दीं। इस मौके पर सीहोर जिले के ग्राम सेंगादांगी के युवा उद्यमी श्री अनिल दांगी ने कहा कि वे अब 40 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में एक करोड़ का ऋण प्राप्त कर सीमेंट उत्पाद बनाने का व्यवसाय शुरू किया है। इसी तरह रीवा जिले की मऊगंज तहसील की श्रीमती मीनाक्षी द्विवेदी ने स्टोन क्रेशर का व्यवसाय शुरू किया है। उन्होंने क्रेशर प्लांट एवं मशीन के लिये 46 लाख 30 हजार का ऋण लिया है। देवास जिले के श्री अजय परमार ने भी एक करोड़ लागत की प्लास्टिक इंजीनियरिंग कम्पोनेंट बनाने की इकाई स्थापित की है। उन्होंने इकाई में 10 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। आने वाले वर्षों में वे अपने उत्पाद निर्यात करने की योजना बना रहे हैं। महेश्वर के श्री अजीज अंसारी ने साड़ी निर्माण की इकाई के लिये 50 लाख का ऋण लिया है। शिवपुरी के श्री गोविंद गोयल ने योजना में 50 लाख का ऋण लेकर आटा मिल स्थापित की है। वे मिल में 15 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। भोपाल की श्रीमती रंजना वर्मा ने फ्लोर मिल स्थापित की है जिसमें वे अब दूसरों को रोजगार उपलब्ध करवा रही हैं। इस फ्लोर मिल की लागत एक करोड़ है।

कदम पर सरकार का साथ

सुविधाओं की चर्चा करते हुए कहा कि चाहे गाँव से शहरों में पढ़ने आना हो या शहरों से विदेश जाना हो सबके लिये अलग-अलग योजनाएँ हैं। स्कॉलरशिप को महँगाई के सूचकांक के साथ जोड़ा है। प्रायवेट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेने पर फीस सरकार द्वारा भरे जाने का प्रावधान किया गया है। संभागीय स्तर पर कमरा लेकर पढ़ने के लिये 2000 रुपये और जिला स्तर पर 1250 रुपये मासिक किराया तय किया गया है जिसे सरकार वहन करेगी।

अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की योजनाओं ने युवाओं को नया रास्ता दिखाया है। अब पूरा परिदृश्य बदल रहा है। हितग्राही अब खुद मालिक बन रहे हैं। आदिवासी अंचलों से बड़ी संख्या में नए क्षेत्रों में रोज़गार मिल रहा है। उन्होंने जनजातीय बच्चों से योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया।

प्रमुख सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान ने योजना की विशेषताओं की जानकारी देते हुए बताया कि छह विभाग मिलकर इस योजना का संचालन अपने-अपने बजट से करते हैं। पिछले साल शुरू इस योजना में 31 हजार 600 हितग्राहियों को लाभ मिला है।

सफलताएँ - श्री जितेन्द्र सिंह उमरिया ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि बोलेरो गाड़ी चलाकर 20 से 22 हजार की आमदनी हो रही है। सुश्री रोशनी (उमरिया) ने सिलाई केंद्र शुरू किया है जो अच्छे से चल रहा है। श्री तूफान सिंह (आगर) किओस्क चलाते हैं। श्री रूपसिंह भरिया (झाबुआ) बोलेरो चलाते हैं। श्री ओमकार सिंह (रायसेन) सरकारी विभागों में वाहन चलाना चाहते हैं। श्री संजय (होशंगाबाद) ने ट्रेक्टर ट्राली खरीदी। अच्छा लाभ मिल रहा है। पहले दूसरे के यहाँ चालक का काम करते थे। श्री जितेन्द्र (भोपाल) अपना खुद का कम्प्यूटर सेंटर चलाते हैं। श्री अनिल मालवीय (भोपाल) टेंट हाउस चलाते हैं। पहले टेंट हाउस में काम करते थे। श्री रवि चौहान दोना-पत्तल बनाने का काम कर रहे हैं इसमें छह लोगों को काम दिया है। टीकमगढ़ के श्री राहुल सौरभ बोलेरो चलाते हैं।

श्री सुनील उइके (मंडला) ने आदिवासी अंचलों में जिम खोलने का सपना देखा था। मुख्यमंत्री ने सपना पूरा कर दिया। समाज में इज्जत दिलाई। अच्छे से परिवार चला लेते हैं। उमरिया की सुश्री मधु सिंह किराना स्टोर चलाती हैं। जनजातीय कलाकार श्री हीरामन उर्वेती ने मुख्यमंत्री को गोंड पेंटिंग भेंट की।

पंचायत में विधायक श्री ओम सखलेचा, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा, प्रमुख सचिव आदिम-जाति कल्याण श्री बी.आर. नायडू, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण श्री अशोक शाह, संचालक डीपीआईपी श्री एल.एम. बेलवाल और बड़ी संख्या में दूरस्थ अंचलों से आये स्व-रोजगारी उपस्थित थे। यह पंचायत आदिम-जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और अल्पसंख्यक कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के सहयोग से आयोजित की गयी थी।

लघु उद्योगों के लिये होगी

मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 मई को मुख्यमंत्री निवास पर युवा उद्यमी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश में सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना लागू की जायेगी। सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्योगों की इकाइयों को 5000 वर्ग फिट तक के प्लाटों की मध्यप्रदेश भूमि प्रबंधन नियमों के तहत निर्धारित दरों में 90 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। सम्मेलन में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया तथा स्नेपडील के सी.ई.ओ. श्री कुणाल बहल विशेष रूप से उपस्थित थे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अपना उद्योग स्थापित करने वाले करीब एक हजार युवा उद्यमी शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाकर एक नया मध्यप्रदेश बनायेंगे। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को क्लस्टर के रूप में विकसित करने के लिये 10 करोड़ रुपये की लागत से 15 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं। प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में 20 प्रतिशत भूमि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिये आरक्षित की गयी है। इनके लिये 15 प्रतिशत पूँजी अनुदान तथा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। साथ ही बिजली कनेक्शन रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। लघु उद्यमियों द्वारा स्टार्ट अप कंपनियाँ प्रारंभ करने के लिये सौ करोड़ रुपये का वेंचर केपीटल फंड स्थापित किया गया है। इन उद्यमियों के लिये पंजीयन प्रक्रिया सरल कर ऑनलाइन की गई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिये कृषि के साथ उद्योगों के विस्तार पर

पाँच हजार निर्माण श्रमिकों का होगा कौशल प्रमाणीकरण

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने 19 मई को बताया कि प्रदेश में परम्परागत व्यवसायों में हुनरमंद 5000 निर्माण श्रमिकों का कौशल प्रमाणीकरण किया जायेगा। इसके बाद इन्हें 120 घंटे का कोर तथा सपोर्ट स्किल प्रशिक्षण कार्य-स्थल पर ही दिया जायेगा। प्रशिक्षण पूरा करने वाले श्रमिकों को कंस्ट्रक्शन स्किल डेव्हलपमेंट काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। यह योजना पायलट के तौर पर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और सीहोर जिले में शुरू की जा रही है। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद इन्हें जहाँ काम मिलने में आसानी होगी, वहीं कुशल श्रमिक श्रेणी का मेहनताना भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि पायलट योजना सफल होने पर इसे अन्य श्रमिक क्षेत्रों में भी लागू किया जायेगा। मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम. सिबि चक्रवर्ती ने बताया है कि प्रदेश में करीब 25 लाख पंजीकृत कामगार श्रमिक हैं। इनमें से अधिकांश के पास हुनर तो है, किन्तु इनके पास कोई औपचारिक प्रमाण-पत्र नहीं है। इसके कारण इन्हें अपने हुनर के अनुरूप मजदूरी नहीं मिल पा रही है।

ध्यान देना होगा। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा बड़े उद्योगों के पूँजी निवेश के साथ लघु युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता का गुण पैदा कर रहे हैं। इसके लिये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बनाई गई है जिसमें युवाओं को उद्योग लगाने के लिए एक करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस वर्ष प्रदेश में ऐसे एक हजार युवा उद्यमी तैयार किए हैं। युवा उद्यमियों के सहयोग से प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की जाएगी। उन्होंने युवा उद्यमियों से कहा कि व्यक्ति तय कर ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। सफलता की कुँजी विनम्रता और धैर्य रखना है। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना और लगातार परिश्रम करना सफलता का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र की नई तकनीक को लगातार सीखते रहें। इस सफलता को पड़ाव मानें मंजिल नहीं। कोई भी समस्या हो तो वे (मुख्यमंत्री) हर सोमवार को उद्यमियों से मिलते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि युवा स्वावलंबी बनें और दूसरे युवाओं को प्रोत्साहित करें। कौशल विकास में राज्य सरकार उनकी हरसंभव मदद करेगी। उन्होंने कुछ युवा उद्यमियों के उदाहरण देकर बताया कि युवा चाहें तो उद्यमी बनकर दूसरों को रोजगार दे सकते हैं।

स्नेपडील के सी.ई.ओ. श्री बहल ने युवा उद्यमियों से कहा कि मध्यप्रदेश ने युवा उद्यमी योजना के माध्यम से उन्हें एक अवसर दिया है। देश के बहुत कम राज्यों में ऐसी योजना होगी, इसका लाभ जरूर लें। उन्होंने स्नेपडील कंपनी के विकास की कहानी बताते हुए कहा कि लगातार पाँच बार असफल होने के बाद छठे बिजनेस मॉडल में वे सफल हुए। उन्होंने युवाओं से कहा कि अपने अंदर से कुछ करने की आवाज सुनें तो जरूर करें। इसके माध्यम से वे समाज में अपना प्रभाव छोड़ेंगे। हमेशा याद रखें आज का दिन कल से बेहतर हो तो प्रगति होती है। सफलता के लिये लगातार कड़ी मेहनत के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हमेशा बड़ा सोचें और कभी हार नहीं मानें। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के युवा उद्यमियों के उत्पादों को वे ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध करवायेंगे।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान ने योजना की एक वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में युवा उद्यमी श्री अनिल दांगी, श्रीमती मीनाक्षी द्विवेदी, श्री अजय परमार, श्री अजीज अंसारी, श्री गौरव गोयल और श्रीमती रंजना वर्मा ने अपने अनुभव बताये। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवा उद्यमी-मार्गदर्शिका और युवा उद्यमियों की डायरेक्ट्री का विमोचन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नीमच, अशोकनगर, नरसिंहपुर, बुरहानपुर और जबलपुर जिलों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। सम्मेलन में विधायक श्री ओमप्रकाश सकलेचा, विधायक श्री सूरज प्रकाश मीणा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा, ट्रायफेक के प्रबंध संचालक श्री डी.पी. आहूजा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सी.जे.एम. श्री रितेन घोष सहित विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन उद्योग आयुक्त श्री व्ही.एल. कांताराव ने किया।

प्रत्येक विकासखंड में होंगे कौशल विकास केन्द्र

ऊर्जा एवं जनसम्पर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने 19 मई को सतना में कौशल विकास केन्द्र का उद्घाटन करते हुए कहा है कि प्रदेश में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए औद्योगिक क्रांति लानी होगी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक कुटीर उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया। मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रत्येक विकासखण्ड में कौशल विकास केन्द्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। श्री शुक्ल ने सतना कौशल विकास केन्द्र में 9 विभिन्न ट्रेड में युवाओं को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की सराहना की। सांसद श्री गणेश सिंह ने बताया कि इन कौशल विकास केन्द्रों में जिन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा, उनमें 80 प्रतिशत प्लेसमेंट की गारंटी होगी। श्री सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार की मुद्रा बैंक योजना में देश भर में 5 करोड़ 50 लाख लघु उद्यमियों को 10 हजार से 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि जिले में वर्तमान में 1000 से अधिक युवाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है।

मध्यप्रदेश होगा

तीन साल में खुले में शौच से मुक्त

महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने के संकल्पों के साथ स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत के लिए किये जाने वाले प्रयासों में भारत सरकार के पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय तथा मध्यप्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में स्वच्छता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लक्ष्यों को स्पष्ट करने, जमीनी चुनौतियों को समझने, सफलता की कहानियों को साझा करने और आगामी रणनीति तय करने के लिए मध्यप्रदेश में 23 मई 2015 को राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गयी।

स्वच्छता की स्थिति में व्यापक सुधार लाने और महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने के संकल्पों के साथ स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत के लिए किये जाने वाले प्रयासों में भारत सरकार के पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय तथा मध्यप्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में स्वच्छता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। इस पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय से ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से लेकर संपूर्ण स्वच्छता अभियान तथा निर्मल भारत अभियान तक किए गए प्रयासों के बावजूद देश में स्वच्छता के स्तर में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाया।

कार्यशाला में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, विकास एजेंसियों के प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ, जिला एवं विकासखंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला एवं विकासखंड स्तर के कार्यक्रम अधिकारी, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और गांवों में लोगों को जागरूक करने वाले प्रेरक शामिल हुए।

उद्देश्य

- राष्ट्रीय प्ररिप्रेक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के बारे में साझा समझ विकसित करना।
- प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के समुदाय आधारित स्वच्छता संबंधी प्रयासों और अनुभवों को साझा करना।
- प्रदेश में स्वच्छता के लक्ष्यों को पाने की स्थिति का आकलन करना।
- स्वच्छता के लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली चुनौतियों को समझना।
- स्वच्छता के लक्ष्य प्राप्ति के लिए भावी रणनीति तय करना।

कार्यशाला को विभिन्न सत्रों में विभाजित

किया गया था। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पं. गोपाल भार्गव, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की सचिव श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश की अपर मुख्य सचिव डॉ. अरुणा शर्मा ने सत्र की अध्यक्षता करते हुए कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। मध्यप्रदेश राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन श्रीमती हेमवती वर्मन ने स्वागत उद्बोधन दिया। इसी सत्र में "स्वच्छ एम.पी." वेबसाइट और यूनिसेफ और एम.पी. टास्ट के सहयोग से प्रकाशित स्वच्छता पर विभिन्न पुस्तिकाओं को लोकार्पित किया गया। अगले सत्र में मध्यप्रदेश के हरदा जिले, राजस्थान के बीकानेर जिले और पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के स्वच्छता अभियान की प्रक्रियाओं एवं सफलताओं को साझा किया गया। मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने मध्यप्रदेश में शाला स्वच्छता के सौ फीसदी लक्ष्य प्राप्ति पर प्रस्तुति दी। समुदाय आधारित स्वच्छता की तकनीक के बारे में फीडबैक फाउंडेशन के श्री अजय सिन्हा ने प्रतिभागियों को बताया। यूनिसेफ एवं एम.पी. टास्ट ने अपनी भूमिका को लेकर प्रस्तुति दी। कार्यशाला के अंतिम सत्र में चुनौतियों एवं उसके समाधान पर चर्चा की गई और भावी रणनीति तय कर समय सीमा में लक्ष्यों की पूर्ति के साथ कार्यशाला का समापन किया गया।

उद्घाटन सत्र

स्वच्छ भारत की परिकल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिए रणनीति तय करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला में मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि समग्र स्वच्छता एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें सिर्फ शौचालय निर्माण नहीं है, बल्कि गांव को आदर्श बनाने की बात भी है, जहां सड़कों पर गोबर, गंदगी, कचरा नहीं हो, गांव में घुसते ही घूरे का अंबार नहीं दिखाई दे, साफ पानी की व्यवस्था हो। तमाम प्रयासों और प्रेरणा के बावजूद हम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आज भी खुले में शौच जाने वालों की संख्या लगभग 74 फीसदी है। जनजागरूकता की कमी आज भी बनी हुई है। हमें व्यवस्था को बेहतर बनाने और समुदाय को जागरूक करने की जरूरत है और उम्मीद है कि यह कार्यशाला इस दिशा में आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगी। अगले तीन सालों में स्वच्छता के लक्ष्य को मध्यप्रदेश में पूरा करने के लिए अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ समुदाय को आगे आना होगा। शौचालय का प्रारूप ऐसा बनाएं, जो व्यापक समुदाय द्वारा स्वीकार्य हो। इस कार्य के लिए राशि की कोई समस्या नहीं है और राज्य सरकार इसमें आने वाली चुनौतियों को खत्म करने के लिए हर स्तर पर नीतिगत बदलाव के लिए तैयार है। इस दिशा में कदम उठाते हुए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के साथ शौचालय निर्माण को भी जोड़ा गया है।

श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सिर्फ शौचालय निर्माण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समुदाय की आदतों एवं व्यवहार में बदलाव लाने का कार्यक्रम है। कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार स्पष्ट है कि इसमें इंक्लुसिव एप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। अगर ग्रामीण सामूहिक रूप से मल के सुरक्षित निष्पादन की जरूरत एवं महत्व को समझ जाएं, तो गांव को खुले में शौच से मुक्त कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। समुदाय को जागरूक करने में ट्रिगरिंग का व्यापक महत्व है। मध्यप्रदेश में स्वच्छता को लेकर गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं और मंत्री एवं अधिकारियों की भी रुचि है। राज्यों को इस दिशा में कार्य करने के लिए नवाचारी प्रयोग और रणनीति बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पूरी तरह से लचीला

रुख अख्तियार किया हुआ है।

डॉ. अरुणा शर्मा, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश में क्रियान्वित किये जा रहे ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों और योजनाओं में स्वच्छता कार्यक्रम सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। विभाग का जोर सिर्फ शौचालय निर्माण पर नहीं है, बल्कि स्वच्छता को लेकर समुदाय के व्यवहार में बदलाव लाने पर भी है। मध्यप्रदेश सरकार ने तय किया है कि 2018 के अंत तक प्रदेश की 22813 पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त कराया जाएगा और स्वच्छ गांव विकसित किए जाएंगे। मध्यप्रदेश में स्वच्छता का लक्ष्य बहुत ही ऊंचा है। विभाग द्वारा इस दिशा में कई पहल की जा रही हैं, जिसमें मोबाइल आधारित ट्रैकिंग सिस्टम, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर सिस्टम, टैपिंग नेक्स्ट जेनरेशन प्रमुख हैं। प्रतिभागियों को अब "स्मार्ट गांव" के बारे में दृष्टि एवं अवधारणा विकसित करने की जरूरत है।

श्रीमती हेमवती वर्मन, राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन, मध्यप्रदेश ने कहा कि कार्यशाला में नीति निर्माण से जुड़े मंत्री, नीतियों को क्रियान्वयन करने वाले वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी सहयोग देने वाले विकास एजेंसियों के प्रतिनिधि और विषय विशेषज्ञ, जिला स्तर पर योजना को लागू करने वाले जिला एवं विकासखंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला एवं विकासखंड स्तर के कार्यक्रम अधिकारी, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के साथ-साथ गांव में लोगों को जागरूक करने वाले प्रेरक भी शामिल हैं। यह विविधता से युक्त समूह है। ऐसे में इस कार्यशाला की सीख बहुत ही व्यावहारिक होगी, और स्वच्छ मध्यप्रदेश के लिए सार्थक रणनीति पर विचार-विमर्श होगा।

समुदाय आधारित स्वच्छता संबंधी अनुभवों का आदान-प्रदान

सुश्री आरती डोगरा, तत्कालीन कलेक्टर, बीकानेर

बीकानेर में संचालित समुदाय आधारित स्वच्छता अभियान को 'बंको बीकानो' नाम दिया गया। बीकानेर में इस भ्रम को भी तोड़ा गया कि बुजुर्गों को व्यवहार बदलाव के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। थार मरूस्थल के बीच इस बड़े जिले में स्वच्छता अभियान को चलाना चुनौतीपूर्ण रहा, पर महज डेढ़ साल में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। अप्रैल 2013 में जिले में स्वच्छता कव्हरेज महज 30 फीसदी था, पर अगस्त 2014 में जिले के 80 फीसदी ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो गए। अभियान में महिलाओं के सम्मान और अस्मिता को केंद्र में रखा गया। शौचालय निर्माण के साथ-साथ समुदाय के व्यवहार बदलाव पर जोर दिया गया। समुदाय को शौचालय के लिए मॉडल अपनाने का विकल्प दिया गया। पानी के बारे में भ्रम तोड़ा गया कि इसमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। शालाओं में पानी सुनिश्चित करने के लिए राज्य में नीति बनाई जा रही है।

नादिया, पश्चिम बंगाल - श्री दीप्पांजन भट्टाचार्य, एडीएम, नादिया

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में 'सबर शौचागार' नाम से स्वच्छता अभियान को चलाया गया। 2 अक्टूबर 2013 को नादिया जिले को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए शपथ लेकर 187 पंचायतों में इसकी

शुरुआत की गई। विभिन्न हितग्राहियों को साथ लेकर शुरू किए गए इस अभियान में सभी स्तरों पर निगरानी और सूचना एवं संचार तकनीक के उपयोग से सफलता में तेजी आई। अभियान में 2.17 लाख लोगों की मानव श्रृंखला बनाकर रिकॉर्ड स्थापित किया गया। हॉट बैलून के माध्यम से संदेश भेजे गए। ईंट भट्ठों पर शौचालय बनाने के लिए उसके ठेकेदारों के सामने शर्तें रखी गईं। 30 अप्रैल 2015 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने नादिया जिले को खुले में शौच से मुक्त जिला घोषित किया।

हरदा, मध्यप्रदेश सुश्री षणमुख प्रिया मिश्रा, सी.ई.ओ., हरदा

हरदा में 'ऑपरेशन मलयुद्ध' नाम से समुदाय आधारित स्वच्छता अभियान को चलाया जा रहा है। प्रथम चरण में मई 2014 में 24 ग्राम पंचायतों को लिया गया था। अभियान में सरकारी अधिकारी के रूप में गांव जाना एक चुनौती थी, इसलिए गांव जाने के लिए सामान्य गाड़ियों का उपयोग किया गया। सुबह और शाम को सभी गांवों में अधिकारी निगरानी के लिए जाते थे, जिसमें समुदाय के लोग शामिल होते थे। राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण, समुदाय के साथ ट्रिगरिंग और पंचायतों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने से सफलता की राह आसान रही। विभिन्न चुनावों के कारण द्वितीय चरण का अभियान जल्द शुरू नहीं किया जा सका पर 1 अप्रैल 2015 से इसकी शुरुआत कर दी गई है। अभियान में कई चुनौतियां भी हैं, जिसमें प्रेरकों के मनोबल को बनाए रखना बहुत मुश्किल कार्य है। क्लीन फल-सब्जी, ओडीएफ मछली ब्रांड, पवित्र गाय का दूध, अनाज उपार्जन में प्रोत्साहन राशि आदि के माध्यम से समुदाय को प्रेरित करने का तरीका निकाला जा सकता है। इन चुनौतियों के बीच हरदा जिले को दिसंबर 2016 तक खुले में शौच से मुक्त जिला बनाने का संकल्प लिया गया है।

मध्यप्रदेश में शाला स्वच्छता

मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने मध्यप्रदेश में शाला स्वच्छता के सौ फीसदी लक्ष्य प्राप्ति पर प्रस्तुति देते हुए कहा कि 30 जून तक प्रदेश की सभी शालाओं में शौचालय बना लिए जाएंगे। जब बच्चे नए सत्र में शाला जाएं, तो उन्हें शौचालय की सुविधा पक्के तौर पर मिल सके। इस समय सीमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसकी कार्ययोजना बनाते समय देखा गया लगभग 50000 शौचालय निर्माण की जरूरत है। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छता कोष, राज्य निधि के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से राशि खर्च की जा रही है। सभी के लिए शौचालय निर्माण की संख्या अलग-अलग निर्धारित है। प्रति सप्ताह 50000 शौचालय निर्माण के लक्ष्य के साथ इस दिशा में स्कूल शिक्षा विभाग आगे बढ़ रहा है। इसमें जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और जिला एवं जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा अहम योगदान दिया जा रहा है।

गर्मी के मौसम में निर्माण कार्य के लिए पानी की समस्या रहती है, पर हम उसकी स्थानीय व्यवस्था कर रहे हैं। चाइल्ड फ्रेंडली मॉडल के लिए राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है। गुणवत्ता पर व्यापक जोर दिया जा रहा है। लक्ष्य प्राप्त करने वाले जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा और उम्मीद है कि लक्ष्य पूरा कर सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मानित होंगे। शाला के शौचालय के रखरखाव और साफ-सफाई के लिए अलग से जल्द ही दिशानिर्देश दिए जाएंगे। माध्यमिक शालाओं में शौचालय के साथ फंक्शनल इंसिनिरेटर भी बनाया जाए, जिससे कि शालाओं में बालिकाओं को माहवारी के समय परेशानी न हो। इसके साथ ही उन्हें प्रजनन, स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई पर जानकारी भी दी जाए।

छिंदवाड़ा एवं सीहोर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने इस दिशा में किए जा रहे कार्यों पर अपने अनुभव साझा किए। छिंदवाड़ा में शौचालय निर्माण के साथ-साथ शाला को इस तरह से तैयार किया

जा रहा है, जिससे बच्चों को लगे कि शाला उनके स्वागत को आतुर है। श्री मोहंती ने विभिन्न जिलों में तैयार चाइल्ड फ्रेंडली मॉडल के चित्रों को दिखाकर अन्य लोगों को बेहतर शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित किया।

प्रेरकों के अनुभव

सागर की पूर्व महापौर किन्नर कमला बुआ ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि समुदाय को उनके सम्मान के साथ जोड़कर संवाद करना सार्थक रहा। जब वे गांव जाती थीं, तो फ्रेश होने के लिए शौचालय के बारे में पूछती थीं और नहीं होने पर कहती थीं कि जब पूरे गांव में शौचालय बन जाएगा, तभी वह दुबारा आएंगी। वे 40 किलोमीटर दूर तक सुबह-सुबह ग्रामीण इलाके का भ्रमण करती थीं। वे कहती हैं कि जब शौच मुक्त गांव होंगे, तभी स्वर्णिम मध्यप्रदेश की बात की जा सकती है। गांवों में महिलाओं ने शौचालय के लिए किचेन हड़ताल किया, जिसकी वजह से उनके परिवार वाले शौचालय बनाने के लिए मजबूर हो गए। इसके साथ ही वे जमीनी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से भी नियमित संवाद करती रहीं।

बैतूल जिले के मुलताई विकासखंड के चौथिया पंचायत के पूर्व सरपंच कचरू वारंगे ने बताया कि जिनके यहां शौचालय नहीं थे, उन्हें शौचालय बनाने के लिए और जिनके यहां शौचालय थे, उन्हें शौचालय के उपयोग के लिए प्रेरित करने का काम किया गया। हमने पहले शौचालय निर्माण पर जोर दिया। इसके बाद नवाचारी उपाय कर तय किया कि जो लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं, उनका नाम पंचायत भवन पर लाउडस्पीकर लगाकर उद्घोषित किया जाए। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए 4-5 दिनों में ही लोगों ने खुले में शौच जाना बंद कर दिया।

प्रेरक की भूमिका निभाने वाले हरदा, बैतूल, गुना, राजगढ़ और सागर के बच्चों की ओर से वंदना और उनकी टीम ने अपने अनुभवों को साझा किया।

समुदाय आधारित स्वच्छता पर संवाद

मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को गति देने के लिए समुदाय आधारित स्वच्छता (सी.एल.टी.एस.) पर समझ को स्पष्ट करने के लिए फीडबैक फाउंडेशन के श्री अजय सिन्हा ने अपने अनुभवों को साझा किया, सी.एल.टी.एस. की तकनीक के बारे में बताया और प्रतिभागियों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि सी.एल.टी.एस. की विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर स्थानीय परिप्रेक्ष्य में

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को गति दी जा सकती है। मुद्दा शौचालय निर्माण का नहीं है, बल्कि मानसिक बाधा को तोड़ने का है। शौचालय उपयोग नहीं करने के लिए व्यक्ति कई बहाने बनाता है, जो कि वास्तविक बाधाएं नहीं होती हैं।

सहभागी संस्थाओं की प्रस्तुति

यूनिसेफ

यूनिसेफ मध्यप्रदेश के स्वच्छता विशेषज्ञ श्री जॉनसन ने कहा कि खुले में शौच के कारण होने वाली बीमारियां बच्चों को प्रभावित करती हैं। यूनिसेफ के लिए स्वच्छता एक अहम मुद्दा है। यूनिसेफ प्रदेश के 7 जिलों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को गति देने के लिए सी.एल.टी.एस. में तकनीकी सहयोग दे रहा है। प्रशिक्षण मार्गदर्शिका निर्माण के साथ-साथ निगरानी एवं मूल्यांकन में भी यूनिसेफ का सहयोग है।

एम.पी. टास्ट

एम.पी. टास्ट के श्री महेश मिश्रा ने उपलब्धियों एवं चुनौतियों को प्रस्तुत करते हुए बताया कि विभिन्न सहयोगी संस्थाओं के साथ एम.पी. वॉश के माध्यम से प्रदेश के 16 जिलों में कार्य किया जा रहा है। इसमें से 4 जिलों में गहनता के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने उपयोगहीन शौचालय के विभिन्न कारणों को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एम.पी. वॉश का गुणवत्ता एवं निगरानी पर जोर है। हम सभी को गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है।

समापन सत्र

अंतिम सत्र में जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने यह सुनिश्चित किया कि वे अपने जिले को खुले में शौच से मुक्त जिला बनाएंगे और स्वच्छ मध्यप्रदेश के लिए जिले को पूरी तरह से स्वच्छ जिले के रूप में विकसित करेंगे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के सचिव श्री संजीव कुमार झा ने कार्यशाला की गतिविधियों एवं सीख को संक्षेप में रखते हुए कहा कि हमें अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करने की जरूरत है। हमारा ध्यान समुदाय की आदतों एवं व्यवहार बदलाव पर केंद्रित होना चाहिए। प्रक्रियाओं को ज्यादा सहज बनाने की जरूरत है। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को सक्रिय करना होगा। प्रेरकों का एक्सपोजर विजिट कराया जाए। स्व-सहायता समूहों को जोड़ा जाए।

उन्होंने कहा कि हमने शौचालय निर्माण के लक्ष्य को बढ़ा दिया है, पर इसके लिए अन्य व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया गया है। रिवॉल्विंग फंड का उपयोग अनुपयोगी पड़े शौचालयों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। हमें अपनी इच्छाशक्ति को बढ़ाते हुए प्रेरकों के माध्यम से नए प्रेरकों को गढ़ने की जरूरत है।

अंत में राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन, मध्यप्रदेश श्रीमती हेमवती वर्मन ने आभार व्यक्त करते हुए प्रतिभागियों से कहा कि जिलों में क्रियान्वयन की योजना, चिह्नित प्रेरकों की सूची और रणनीति से राज्य को अवगत कराएं, जिससे कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को मध्यप्रदेश में तय समय सीमा में पूरा किया जा

● अजीत तिवारी

फोटो निर्वाचक नामावली का शुद्धिकरण 31 जुलाई तक

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर फोटो निर्वाचक नामावली के शुद्धिकरण एवं सत्यापन का अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। प्रदेश में अब तक 47 लाख 23 हजार 375 आधार एवं एक करोड़ 2 लाख 74 हजार 499 मोबाइल नम्बर को मतदाता परिचय-पत्र से लिंक करवाया गया है। प्रदेश में कुल मतदाता लगभग 4 करोड़ 89 लाख हैं। निर्वाचक नामावली को पूरी तरह त्रुटि-रहित बनवाने के लिये वोटर आई.डी. (एपिक) को आधार एवं मोबाइल नम्बर से लिंक करवाने के लिये मतदाताओं को अपने बीएलओ/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से सम्पर्क करना होगा। अधिकारी को नाम, आधार एवं मोबाइल नम्बर, ई-मेल, वोटर-कार्ड नम्बर के साथ निर्धारित प्रपत्र में एपिक और आधार-कार्ड फोटोकॉपी के साथ उपलब्ध करवाना होगा। मतदाता को अपने नाम, पिता/पति का नाम, जन्म-तिथि आदि में अशुद्धि होने पर सुधार के लिये तथा अस्पष्ट या श्वेत-श्याम फोटो को बदलवाने के लिये फार्म-8 बैंक चालान के साथ भरकर जमा करवाना होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने मतदाताओं से अपील की है कि यदि उनका नाम उनके निवास स्थान के अलावा अन्य स्थान की मतदाता-सूची में दर्ज है तो वे फार्म-7 भरकर अन्य स्थान से नाम कटवाये जाने की कार्यवाही करें। आधार नम्बर को एपिक से लिंक करवाने के लिये वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर जाकर "अपने आधार-कार्ड नम्बर को मतदाता-सूची से जुड़वायें" लिंक का उपयोग कर स्वयं अपने मतदाता परिचय-पत्र से आधार एवं मोबाइल नम्बर को लिंक करवा सकते हैं। इसके अलावा कॉल-सेंटर 1950 अथवा 51969 पर एसएमएस करके भी यह कार्यवाही की जा सकती है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना', 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' और 'अटल पेंशन योजना' की शुरुआत करने के अवसर पर 12 मई को कोलकाता में कहा कि निर्धनों को सहारा नहीं, बल्कि शक्ति चाहिए।

इस अवसर पर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविता का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा,

"मेरी प्रार्थना यह नहीं है कि तुम मुझे मुश्किलों से बचाओ।

मुश्किलों से पार पाने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करो।

मेरा बोझ मत बांटो या मुझे सांत्वना मत दो।

मुझे बोझ वहन करने की शक्ति दो।"

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इन योजनाओं की शुरुआत करने के लिए कोलकाता का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था 'बंगाल जो आज सोचता है, वह भारत कल सोचता है।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अत्यंत दुःख का विषय है कि देश के 80 से 90 प्रतिशत लोगों की पहुंच अभी तक बीमा और पेंशन तक नहीं हुई है। विकास का फल निर्धनतम लोगों तक अवश्य पहुंचना चाहिए और इसलिए केन्द्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' की शुरुआत की। जन धन योजना को अब और आगे बढ़ाते हुए जन सुरक्षा के तहत इन सुरक्षा योजनाओं को लागू किया जा रहा है। जन धन योजना के द्वारा जिन लोगों को बैंकिंग की सुविधा प्राप्त नहीं थी उन लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया गया।

इसी तरह मुद्रा बैंक द्वारा छोटे कारोबारियों को वित्त की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे वे अब तक वंचित थे। वहीं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं द्वारा असुरक्षित लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी। इन योजनाओं को प्रयोग के आधार पर 01 मई 2015 से शुरू किया गया।

इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी, मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी, केन्द्रीय मंत्री श्री जयंत सिन्हा और श्री बाबुल सुप्रियो भी उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत

विदिशा में हुआ राज्य-स्तरीय लोकार्पण

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना लोकार्पण का राज्य-स्तरीय कार्यक्रम 9 मई को समन्वय भवन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी, सांसद श्री आलोक संजर तथा विधायक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह मौजूद थे। इस अवसर पर कोलकाता में हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भाषण का लाइव प्रसारण भी किया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित तीन योजनाओं का लाभ सभी व्यक्तियों को मिलेगा। आगामी तीन माह में विशेष अभियान चलाकर पात्र व्यक्तियों का पंजीयन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि तीनों योजनाएँ दरिद्रनारायण की सेवा का कार्यक्रम है। गरीब आदमी के लिये ये योजनाएँ संजीवनी का काम करेंगी। उनका भविष्य सुरक्षित करेंगी। आर्थिक सुरक्षा मिलने से बुजुर्गों का मान-सम्मान बढ़ेगा। जीवन में आनन्द और प्रसन्नता का प्रतिशत भी बढ़ेगा। उन्होंने मध्यप्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि योजनाएँ आम आदमी में एक नया विश्वास भरेंगी। सामाजिक सुरक्षा का नया इतिहास लिखेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का सामाजिक सरोकारों से गहरा नाता है। राज्य में एक रुपये किलो की दर से गेहूँ, चावल और नमक का वितरण किया जा रहा है। पहली कक्षा से छात्रवृत्ति दी जाती है। सरकार ने पढ़ाई-लिखाई के लिये सुविधाएँ उपलब्ध करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। निःशुल्क उपचार और औषधि वितरण की भी व्यवस्था है।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में देश में नई शुरुआत हुई है। समाज के बहुत बड़े वर्ग को पेंशन और बीमा की सुरक्षा मिल रही है। उन्होंने तीन योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में व्यक्ति का मात्र 12 रुपये सालाना के प्रीमियम में दो लाख का दुर्घटना बीमा हो जायेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कोई भी व्यक्ति मात्र 330 रुपये के वार्षिक प्रीमियम में परिवार के लिए दो लाख रुपये की राशि का बीमा करवा सकेंगे।

उन्होंने अटल पेंशन योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि योजना में 60 वर्ष की उम्र से पेंशन मिलने लगेगी। व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को पेंशन मिलेगी। दोनों की मृत्यु हो जाने पर एकमुश्त राशि उनकी संतानों को मिलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के 11 हितग्राहियों को बीमा प्रमाण-पत्र दिये गए।

मुख्यमंत्री निवास से हुई प्र
योजनाओं के अमल की शु

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 मई को अपने निवास से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने अपने स्टाफ के सदस्यों और उनके परिजनों को बीमा प्रमाण-पत्र दिये। देश में यह पहला अवसर है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की शुरुआत अपने पूरे स्टाफ के साथ की।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश के नागरिकों की ओर से धन्यवाद देते हुए कहा कि इन परिवर्तनकारी योजनाओं से हर परिवार और हर नागरिक के जीवन में निश्चिंतता आएगी। उन्होंने कहा आम आदमी का जीवन सुरक्षित करने वाली ऐसी योजनाएँ पहले कभी नहीं बनीं। प्रदेश के हर पात्र नागरिक को इन योजनाओं का फायदा दिलाया जायेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री जन-धन योजना में मध्यप्रदेश के देश में पहले स्थान पर रहने की चर्चा करते हुए कहा कि बैंकों और नागरिकों के सहयोग से इन तीन योजनाओं के क्रियान्वयन में भी देश में प्रदेश सबसे आगे रहेगा।

श्री चौहान ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने आस-पास, परिवार-नाते-रिश्तेदारों को भी इन योजनाओं की जानकारी दें और उन्हें भी लाभ दिलाकर राष्ट्रीय कार्य में सहयोग करें।

मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह ने स्वयं बीमा फॉर्म की पूर्ति कर बीमा करवाया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 मई से हर जिले में इन योजनाओं में पंजीयन करने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा। हर जिले में पंजीयन के लिए 30 से 40 की संख्या में विशेष केंप लगाने की तैयारियाँ हो गयी हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले 10 दिन में 32 लाख हितग्राहियों का पंजीयन हो चुका है।

सचिव मुख्यमंत्री एवं आयुक्त संस्थागत वित्त श्री विवेक अग्रवाल ने प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से वित्तीय

इंदौर में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा तथा अटल पेंशन योजना का हुआ शुभारंभ

परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने 9 मई को इंदौर में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा तथा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया। समारोह में महापौर श्रीमती मालिनी गौड़, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री कविता पाटीदार, विधायक सर्वश्री सुदर्शन गुप्ता, महेन्द्र हार्डिया, श्री मनोज पटेल तथा डॉ. राजेश सोनकर, श्री कैलाश शर्मा विशेष रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा कोलकाता में दिये गये उद्‌बोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया।

श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि ये तीनों योजनाएँ समाज के कमजोर वर्गों को नया जीवन देंगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जन-धन योजना शुरू कर वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अद्‌भुत कार्य किया है। उन्होंने कहा कि अब समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

कार्यक्रम को महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बीमित नागरिकों को बीमा पॉलिसी का वितरण भी किया गया।

प्रधानमंत्री बीमा शुरुआत

समावेशन का काम भी लगातार जारी रहेगा।

भारतीय स्टेट बेंक के चीफ जनरल मैनेजर श्री रितेन घोष ने कहा कि मध्यप्रदेश ने आर्थिक विकास और कृषि क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। श्री चौहान की लगन और चिंता को देखते हुए कह सकते हैं कि इन योजनाओं पर अमल में भी मध्यप्रदेश देश में आगे रहेगा।

इस अवसर पर सांसद श्री आलोक संजर, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एच.डी.एफ.सी. बैंक के महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी, न्यू इंडिया इन्श्योरेन्स, भारतीय जीवन बीमा निगम और संचालनालय संस्थागत वित्त के अधिकारी उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश में आम लोगों के लिये तीन बड़ी योजनाएं

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना - इस योजना में दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा कवर की सुविधा है। इसमें सहभागी बैंकों के 18 से 70 वर्ष की आयु वाले सभी बचत बैंक खाताधारी शामिल होने के पात्र होंगे। यदि किसी व्यक्ति के एक अथवा विभिन्न बैंकों में कई बचत खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के द्वारा ही इस योजना में शामिल हो सकेगा। बैंक खाते के लिये आधार कार्ड प्राथमिक केवायसी होगा। योजना में प्रत्येक सदस्य को मात्र 12 रुपये प्रतिवर्ष का प्रीमियम देना होगा। योजना में दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में उसके परिजन को 2 लाख रुपये, दोनों आँखों की पूर्ण तथा अपूरणीय क्षति, दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों के काम करने में अक्षम होने या नजर चली जाने तथा एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम हो जाने पर 2 लाख रुपये तथा एक आँख की नजर की कुल तथा अपूरणीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर के काम करने में अक्षम होने की स्थिति में एक लाख रुपये की बीमा राशि दी जायेगी।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना - इस योजना में सहभागी बैंकों के 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारक शामिल होने के हकदार होंगे। इसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर उपलब्ध होगा। योजना में बीमित व्यक्ति को 330 प्रति सदस्य प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होगा। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर बीमित के परिवार को दो लाख रुपये की बीमा राशि दी जायेगी।

अटल पेंशन योजना - यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगार गरीबों को वृद्धावस्था में सुरक्षित आय प्रदान करने के लिये शुरू की जा रही है। इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। यदि अभिदाता 18 से 40 वर्ष की आयु के भीतर योजना में शामिल होकर अंशदान करता है तो उसे योजना में एक हजार से 5 हजार रुपये के बीच निर्धारित पेंशन मिलेगी। अंशदान स्तर भिन्न होंगे तथा यदि अभिदाता शीघ्र शामिल होता है तो वे कम होंगे और देर से शामिल होने पर बढ़ जायेंगे।

बीमा योजनाओं से सुरक्षित जीवन

पंचायत और ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता तथा गुना जिला प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 29 मई को गुना और राघोगढ़ में कहा कि बहुत कम राशि मात्र 12 रुपये एवं 330 रुपये में 2 लाख का बीमा का लाभ लेने के लिये हर वर्ग का व्यक्ति अपना पंजीयन करवाये।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना शुरू की गई है। इन तीनों योजनाओं में हर व्यक्ति भागीदार बनकर अपना जीवन सुरक्षित बनाये।

श्री भार्गव ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाओं में 18 से 70 वर्ष के खाताधारी को 12 रुपये हर साल जमा करने पर दुर्घटना या मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में एक वर्ष के कवर पर 18 से 50 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाताधारक को 330 रुपये जमा करने पर 2 लाख तथा अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष तक तथा 60 वर्ष के होने पर पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आमजन के हित में इस तरह की बीमा योजनाएँ आजादी के बाद पहली बार शुरू हुई हैं। इनका लाभ उठाने के लिये सभी लोग पंजीयन करवायें और बैंकों में 31 मई तक जुड़ने की सहमति दें। जो व्यक्ति इन योजनाओं से जुड़ेंगे उन्हें नकद नहीं जमा करना होगा। उनके खाते से बीमा प्रीमियम राशि जमा कर ली जायेगी। योजना एक जून से 31 मई 16 तक की अवधि के लिये रहेगी। श्री भार्गव ने बताया कि प्रदेश में सभी जगह आयोजित कृषि महोत्सव का अधिक से अधिक कृषक लाभ उठायें। अपनी खेती की मिट्टी का परीक्षण करवाये और उन्नत खाद-बीज की जानकारी लें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती प्रीति मैथिल ने कहा कि गुना जिले में इन बीमा योजनाओं में विभिन्न शिविरों में लगभग 51 हजार से अधिक व्यक्तियों के पंजीयन हो चुके हैं। कार्यक्रम स्थल पर मध्यांचल ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने शिविर लगाकर बीमा योजनाओं के लिये लोगों का पंजीयन किया। अंत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री मिश्रा ने अतिथियों एवं उपस्थित जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्चना चौहान, कलेक्टर श्री श्रीमन शुक्ला, विधायक श्री पन्नालाल शाक्य, नगर पालिका अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिह सलूजा सहित जन-प्रतिनिधि, बैंक अधिकारी और आमजन उपस्थित थे।

आमजन को प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ मिले

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बीमा योजनाओं के सामाजिक सुरक्षा जागरूकता अभियान में 28 मई को जिला पंचायत अशोकनगर तथा ग्राम पंचायत बरखेड़ा (बंगला चौराहा) के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आम लोगों को मुसीबत के समय सहायता के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना शुरू की गई है। बीमा करवाने पर स्वयं की सुरक्षा एवं परिवार का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित होगा। सभी लोग इस बीमा कवच के अंदर हों ऐसे प्रयास किये जायें। इस योजना का लाभ आम जनता को दिलवाना सामाजिक सरोकार का प्रतीक है।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर मात्र 12 एवं 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम वाली इन योजनाओं को शुरू किया गया है। इनका लाभ उठाने के लिये सभी लोग पंजीयन करवायें तथा 31 मई के पहले अपने बैंक में इन योजनाओं से जुड़ने की सहमति प्रदान करें। सहमति-पत्र देने के साथ ही व्यक्ति के बैंक खाते से बीमा प्रीमियम राशि काट कर जमा कर ली जायेगी। इन योजनाओं में बीमा करवाने पर एक जून 2015 से 31 मई 2016 तक की बीमा सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने बताया कि अशोकनगर जिले में अभी तक कुल 44 हजार फार्म भरवाये जाकर बीमा करवाये गये हैं। मंत्री श्री भार्गव ने ग्राम पंचायत बरखेड़ा (बंगला चौराहा) के कार्यक्रम में 80 लाख रुपये के निर्माण करवाये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्राम करीला में माँ जानकी मंदिर परिसर में धर्मशाला निर्माण के लिये 60 लाख तथा 20 पक्की दुकानों के लिए 20 लाख की राशि जिला पंचायत को उपलब्ध करवाई जाएगी। विधायक श्री गोपीलाल जाटव ने कहा कि बीमा योजनाओं के माध्यम से आमजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री द्वारा ली गई है। गरीबों के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखकर ये योजनाएँ लागू की गई हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने सभी लोग अपना बीमा करवायें।

इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बाई साहब राव, जन-प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

कृषि उत्पाद संगठनों का महासम्मेलन

मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद संगठनों के गठन में सबसे आगे

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 मई को उज्जैन में कृषि महोत्सव के दौरान हुए कृषि उत्पाद संगठनों के महा-सम्मेलन में कहा कि सरकार किसानों के लिये एक ऐसी योजना प्रारंभ करने पर विचार कर रही है, जिसमें किसानों को 100 रुपये की खाद-बीज सामग्री के लिये ऋण लेने पर 90 रुपये वापस करना होंगे। उन्होंने किसानों की प्रोड्यूसर कम्पनी को सार्वजनिक उपक्रम को मिलने वाली सरकारी सुविधाएँ देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा और कोल्ड-स्टोरेज और कोल्ड-चेन के निर्माण में सहायता भी मिलेगी।

श्री चौहान ने कहा कि कृषि उत्पादन संगठनों के गठन में मध्यप्रदेश सबसे आगे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पाद संगठन को बैंकों से ऊँची दर पर मिलने वाले ऋण पर राज्य शासन ब्याज अनुदान उपलब्ध करवायेगी। किसान कम्पनियाँ खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे आयें। इससे खेती

फायदे का धंधा बनेगी और किसानों के चेहरे पर मुस्कराहट आयेगी। सम्मेलन में नगरीय विकास तथा पर्यावरण मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन, राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी एवं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री हिम्मत कोठारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज प्रदेश की बीज प्रतिस्थापन की दर 30 प्रतिशत तक पहुँच गयी है। यह उपलब्धि हमें किसानों की कम्पनी बनने के कारण मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले उत्पादन को बड़ी कम्पनियाँ ऊँचे दामों पर बेचती हैं तो हमारी फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनियाँ ऐसा क्यों नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा कि कम्पनी खेतों पर ही ग्रेडिंग, पेकिंग और सेलिंग करें, तभी किसान समृद्ध बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को सालाना गेहूँ पर दिया जाने वाला बोनस सरकार के पास सुरक्षित है। इस राशि से एक नयी योजना शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है। योजना में अगर किसान 100 रुपये का खाद-बीज लेता है, तो उसे 90 रुपये लौटाने होंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार किसानों को आपदा में पर्याप्त राहत देने के लिये नयी फसल बीमा योजना बनाने पर विचार कर रही है।

योजना जब मूर्तरूप लेगी तो मध्यप्रदेश देश-दुनिया का पहला राज्य होगा, जहाँ ऐसी योजना लागू होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश से लोग इजराइल की खेती देखने जाते हैं। आने वाले समय में हम खेती-किसानी के लिये इतनी सुविधाएँ विकसित कर लेंगे कि लोग मध्यप्रदेश की खेती देखने आयेंगे। इसमें किसानों का सहयोग और इच्छा-शक्ति जरूरी है। उन्होंने बताया कि 2300 करोड़ रुपये की नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजना तैयार हो रही है। पार्वती और कालीसिंध नदी को जोड़ने के भी प्रयास चल रहे हैं।

एमओयू एक्सचेंज किये गये - फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनियों एवं अन्य क्रेता-विक्रेताओं के मध्य मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में मंच पर एमओयू एक्सचेंज किये गये। इनमें एमबीसीएफपीसीएल के श्री योगेश द्विवेदी एवं एक्स रियल के अर्नो, इण्डो यूएस सीड्स के श्री पटेल तथा समर्थ किसान बीज प्रोड्यूसर कंपनी के श्री रामसिंह एवं सहकारी बीज उत्पादन समितियों के मध्य एमओयू के आदान-प्रदान हुए।

बीज उत्पादक संस्थाओं को लायसेंस दिये - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में सहकारी समितियों को बीज उत्पादक लायसेंस, किसानों को मृदा स्वास्थ्य-कार्ड और किसान क्रेडिट-कार्ड वितरित किये।

आकर्षक प्रदर्शनी लगी - कृषि यंत्रों, खाद, बीज, दवाओं एवं शासकीय योजनाओं पर आधारित आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें विभिन्न कंपनी के 92 स्टॉल लगाये गये। सिंहस्थ-2016 पर केन्द्रित प्रदर्शनी भी सम्मेलन में लगायी गयी। सम्मेलन को कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने भी संबोधित किया।

किसानों की उपज को सीधे बाजार से जोड़ेंगे उत्पाद संगठन

कृषक उत्पादक संगठन का गठन उनकी उपज को सीधे बाजार से जोड़ने के साथ ही वाजिब दाम दिलवाने के लिये किया गया है। संगठन किसानों को उनकी आवश्यकता की सुविधाएँ दिलवाने के साथ ही वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध करवाने में मदद करता है।

प्रदेश के 29 जिले में 64 कृषक उत्पादक संगठन कार्यरत हैं। इन संगठनों को संस्थागत रूप देने के लिये अशासकीय-स्तर पर मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का गठन किया गया है। हाल ही में इसके जरिये किसानों द्वारा उत्पादित 320 टन प्याज दिल्ली भेजी गयी, जिसके अच्छे दाम उन्हें मिले।

मध्यप्रदेश में छोटे किसानों की क्रॉप प्रोड्यूसर की स्थापना को सबसे पहले जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (डी.पी.आई.पी.) के जरिये मूर्तरूप दिया गया था। डी.पी.आई.पी. के कार्यक्षेत्र के 14 जिलों में लगभग 19 क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी गठित की गईं, जिनमें कम्पनी के शेयर होल्डर से लेकर संचालक मण्डल एवं अध्यक्ष तक गाँवों के छोटे और गरीब किसान थे।

इनमें से मुख्य रूप से शाजापुर (अब आगर-मालवा) जिले में समर्थ क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी, राजगढ़ जिले के खुजनेर की क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी, शिवपुरी जिले की क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी एवं गुना तथा रीवा में गठित क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनी शामिल हैं। इसी प्रकार सागर जिले में सागरश्री दुग्ध उत्पादन कम्पनी में अधिकतर महिला पदाधिकारी शामिल हैं।

विश्व बैंक के सुपरविजन मिशन दल ने अनेक बार इन कम्पनियों की गतिविधियों का अवलोकन कर मध्यप्रदेश डी.पी.आई.पी. के प्रयासों की सराहना कर इसे नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण बताया था।

मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जिसने कम्पनी एक्ट में बड़े पैमाने पर कृषक उत्पादक संगठन बनाये हैं। इन्हीं संगठनों का एक वृहद सम्मेलन 29 मई को तीन दिन के लिये उज्जैन में हो रहा है। इस मौके पर एक प्रदर्शनी भी लगायी जायेगी, जिसमें 100 स्टॉल लगेंगे। उन्नत कृषि यंत्रों के प्रदर्शन के साथ ही कृषि, उद्यानिकी और पशु-पालन के क्षेत्र में विशेषज्ञों का किसानों से सीधा संवाद होगा। किसानों की कम्पनी का गठन कर उन्हें लायसेंस देने की भी प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

समीक्षा- भोपाल/होशंगाबाद संभाग

एक पंचायत का होगा एक बैंक खाता

पंचायतों में आनलाइन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ

भोपाल और होशंगाबाद संभाग में चल रहे ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा 7 मई को भोपाल में संपन्न समीक्षा बैठक में की गयी। बैठक में बताया गया कि अब पंचायतों में चल रहे विकास, निर्माण, पंचायत को प्राप्त राशि, उसके उपयोग सम्बन्धी समस्त जानकारी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विकसित पंचायत दर्पण पोर्टल पर सुलभ रहेंगी। प्रदेश की प्रत्येक पंचायत को एक विशिष्ट पहचान कोड दिया जायेगा ताकि एक से नाम होने के कारण होने वाली प्रशासनिक दिक्कतें न हों। ग्राम पंचायत कार्यालय शासकीय कार्यालय की तरह संचालित होंगे। इसके लिये ग्राम पंचायत कार्यालयों को सर्व सुविधा सम्पन्न बनाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को इंटरनेट की ब्राड बैण्ड सुविधा से भी जोड़ा जा रहा है। सरपंचों और पंचों से अपेक्षा की गयी है कि वे नियमित रूप से ग्राम पंचायतों में बैठें। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि वे मैदानी भ्रमण कर शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी लें।

बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने की। बैठक में पंचायत आयुक्त श्री रघुवीर श्रीवास्तव, पंचायत सचिव श्री संजीव कुमार झा, भोपाल संभागायुक्त श्री एस.बी. सिंह, होशंगाबाद संभागायुक्त श्री बाथम, भोपाल और होशंगाबाद संभागों के जिला कलेक्टर, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्रीमती शर्मा ने अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों के काम-काज में पारदर्शिता लाने और वित्तीय अनुशासन कायम रखने के लिये अब ग्राम पंचायत का एक ही खाता होगा। नगद भुगतान

की प्रक्रिया बंद कर दी गयी है। प्रत्येक भुगतान इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से किया जायेगा।

बैठक में श्रीमती शर्मा ने ग्रामीण पेयजल, शौचालय व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण नल जल योजनाओं का मकसद तभी पूरा होगा जब गांव के हर घर में नल कनेक्शन हों। उन्होंने संभाग में पंचायत भवन निर्माण, निर्विरोध पंचायत पुरस्कार योजना, ग्राम पंचायतों के नगरीय क्षेत्रों में संविलयन पर चर्चा की गयी। श्रीमती शर्मा ने निर्देश दिये हैं कि ऐसी ग्राम पंचायतें जो नगरीय निकायों में शामिल हो गयी हैं उनके निर्माणाधीन कार्य पूर्ण करा कर ही उन्हें नगरीय निकायों को हस्तांतरित किया जाये।

● अनिल गुप्ता

मुख्य बिन्दु

- **हर जिले में तीन माह में रोजगार मेले आयोजित किये जायें।**
- **ग्राम पंचायतें विभिन्न करों के रूप में जितनी राशि वसूलेंगी उससे दुगनी राशि सरकार से विकास कार्यों के रूप में मिलेगी।**
- **हर ग्राम पंचायत का एरिया प्रोफाइल तैयार किया जायेगा। इस पोर्टल पर ग्राम पंचायतों तथा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायत के प्रतिनिधियों की जानकारी रहेगी।**
- **ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को यूनिक आई.डी. नम्बर दिया जायेगा।**
- **सांसद आदर्श ग्राम योजनाओं में ऐसे काम हों जो दूसरी पंचायतों के लिये उदाहरण बनें।**

योजनाओं के अमल की जमीनी परख

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में सागर संभाग में उल्लेखनीय कार्य

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती अरुणा शर्मा ने 11 मई को सागर संभाग की विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं की क्रियान्वयन की मैदानी स्थिति जानने के आदेश दिये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास मिशन सहित मुख्यमंत्री की अन्य योजनाओं में शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल हो, साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायतों में पंच-परमेश्वर योजना के तहत हो रहे विभिन्न कार्यों को समय सीमा में करने के निर्देश दिये।

सागर संभाग की समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने 11 मई को जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति मौके पर जाकर देखें तथा जनपद मुख्यालय पर बैठक न करते हुए क्लस्टर स्तर पर बैठक करें। इसी प्रकार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद मुख्यालयों पर जाकर बैठकें लें। उन्होंने कमिश्नरों एवं कलेक्टरों से अपेक्षा की कि वे इन अधिकारियों को सोमवार तथा मंगलवार के दिन क्षेत्र भ्रमण के लिये छूट दें। श्रीमती अरुणा शर्मा ने ये निर्देश गत दिनों कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की संभागीय समीक्षा बैठक में दिये। इस अवसर पर सी.ई.ओ. आर.आर.डी.ए. श्रीमती अलका उपाध्याय, सचिव ग्रामीण विकास श्री संजीव झा, संभागीय कमिश्नर श्री आर.के. माथुर, कमिश्नर पंचायती राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव विभिन्न परियोजनाओं के राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी, सागर कलेक्टर श्री अशोक कुमार सिंह, छतरपुर श्री मसूद अख्तर, दमोह श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, टीकमगढ़ श्री केदार शर्मा एवं पन्ना के कलेक्टर श्री शिवनारायण सिंह चौहान, जिला व जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने लीड बैंक प्रबंधकों से कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में जो प्रकरण स्वीकृत हुए हैं, उनका वितरण माह मई में करा दें। साथ ही जो प्रकरण स्वीकृत नहीं हुए हैं, उन्हें माह जून तक स्वीकृत करवाकर वितरण करा दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास मिशन सहित मुख्यमंत्री की अन्य योजनाओं में शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल हो जाये। कलेक्टर जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में क्रेडिट प्लान बारीकी से देखें एवं क्रेडिट के अनुसार ही प्रकरण बैंकों को भेजे जायें। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014-15 में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में 14 हजार करोड़ का भुगतान बैंकों के माध्यम से हुआ है। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 में यह आंकड़ा 20 हजार करोड़ का हो जायेगा। श्रीमती अरुणा शर्मा ने निर्देश दिये कि जहां बिजनेस करसपाण्डेण्ट की नियुक्ति नहीं हुई है, वहां शीघ्र नियुक्ति करें एवं जहां नियुक्ति हो गई है, वहां के बिजनेस करस्पाण्डेण्ट पंचायतों में बैठें। उन्होंने सी.ई.ओ. जनपद को निर्देश दिये कि स्वरोजगारी को चिन्हित कर प्रशिक्षण दें और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री आर्थिक विकास योजना के प्रकरण बनाये जायें। यह लक्ष्य माह अक्टूबर तक पूरा हो जाये। उन्होंने कमिश्नर से अपेक्षा की कि वे इसकी मॉनीटरिंग करें।

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि परिवारों का समग्र सर्वे सही करें, आंकड़े सही जायें। सर्वे के पश्चात प्रकाशन करायें तथा आपत्तियां आमंत्रित करें, ताकि जानकारी सही जा सके। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की समीक्षा में उन्होंने निर्देश दिये कि अधूरे किचन शेड पंच परमेश्वर योजना से शीघ्र पूरे करा लें। मध्यान्ह भोजन के लिये स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली सब्जियां खरीदें, इससे बच्चों को ताजी हरी सब्जी मिल सकेगी एवं उत्पादकों की सब्जी गांव में ही बिक सकेगी। उन्होंने जनपद सी.ई.ओ. को निर्देश दिये कि वे महिला पंचों से स्कूलों की किचन, साफ-सफाई, टायलेट, मध्यान्ह भोजन आदि चैक करायें, तभी महिला पंचों की सिटिंग फीस दी जाये। यह महिला पंचों की जिम्मेदारी है।

इंदिरा आवास योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिये कि इस वर्ष का लक्ष्य पूरा हासिल करना ही पड़ेगा, इसके लिये विशेष ग्रामसभायें आयोजित कराई जायें। सी.ई.ओ. जनपद प्राथमिकता से 30 मई तक सूची को अंतिम रूप दें। उन्होंने कहा

कि वर्ष 2015-16 के हितग्राहियों का आवास साफ्ट में पंजीयन कराया जाये। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा में श्रीमती शर्मा ने बताया कि सागर संभाग की उपलब्धि उल्लेखनीय रही है। उन्होंने निर्देश दिये कि कुछ गांवों का चयन करें, जहां सभी मकान टायलेट सहित पक्के रहें। साथ ही कच्चे मकानों की सूची बना लें और लक्ष्य से अधिक प्रकरण स्वीकृति के लिये भेजें।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने बताया कि योजना के तहत दमोह जिले में अच्छा कार्य हुआ है। ऐसी अपेक्षा उन्होंने अन्य जिलों के अधिकारियों से भी की। अपर मुख्य सचिव ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को सलाह दी कि अनुपयोगी प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग सड़क बनाने में करें। इससे रोड में मजबूती आयेगी। एक किलोमीटर रोड में आधा टन प्लास्टिक कचरा लगता है। नगर निगम क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोई रोड छूट गई हो तो स्वीकृति के लिये भेजें, ताकि अगले 3-4 वर्ष में सभी गांव सड़कों से जुड़ जायें। उन्होंने कहा कि सड़क की मांग संबंधी कोई भी आवेदन आता है तो तत्काल स्वीकृति के लिये भेजें। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संचालित डी.पी.आई.पी. योजना को संभाग के प्रत्येक ब्लाक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि कम खेती वाले को भी लखपति बनना है। इसके अलावा घरेलू काम धन्धे से हर युवक को जोड़ा जायेगा तथा युवाओं को प्रशिक्षण दिलाया जाये, जिससे उनका कहीं न कहीं प्लेसमेंट हो जाये। उन्होंने सी.ई.ओ. जनपद से कहा कि वे एक क्लस्टर को लेकर आगे बढ़ें। सागर संभाग को इसकी अधिक आवश्यकता है। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में श्रीमती शर्मा ने हिदायत दी कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित शौचालय तथा उनके उपयोग की सी.ई.ओ. जनपद व्यक्तिशः जांच करें। यदि कार्य फर्जी पाया गया तो कठोर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रत्येक नल-जल योजना वाले गांव में वर्ष 2015-16 में प्रतिमाह न्यूनतम 20 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया जाये। बैठक में उन्होंने वाटरशेड की भी समीक्षा की।

● **आर.पी. राय**

जनपद पंचायत विदिशा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत

जनपद पंचायत विदिशा द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अंतर्गत विशेष उल्लेखनीय कार्य किये गये। इन कार्यों में शामिल हैं :-

ग्राम पंचायतों का रख-रखाव - जनपद पंचायत विदिशा अंतर्गत 92 पंचायतों का रख-रखाव विधिवत रूप से किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत स्तर की सर्विसेस - जनपद पंचायत विदिशा द्वारा खण्ड क्षेत्रांतर्गत की ग्राम पंचायतों में घर-घर का सर्वे कराकर कोई ना छूटे, कोई न रूठे के आधार पर शासन की जनकल्याणकारी/विकास योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा में ग्राम पंचायतों द्वारा मुख्यालय स्तर पर किया जा रहा है।

मनरेगा से संबंधित कार्य - प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्यों के पर्यवेक्षण/सहयोग हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त किये गये हैं। जिनके द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम पंचायतों में चल रहे मनरेगा के कार्यों की ऑन-लाइन फीडिंग एवं अन्य कार्य किये जा रहे हैं।

ई-पंचायतों का क्रियान्वयन - खण्ड क्षेत्रान्तर्गत की 92 पंचायतों को शासन द्वारा ई-पंचायत कक्ष निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध कराया गया है। जिसके परिपेक्ष्य में ई-पंचायत कक्ष में शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर सेट स्थापित किये गये हैं।

समग्र स्वच्छता अभियान - खण्ड क्षेत्रांतर्गत की ग्राम पंचायतों को स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवेश को खुले में शौचमुक्त करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है इसके अंतर्गत स्कूल शौचालय एवं आंगनवाड़ी शौचालयों के निर्माण किये गये हैं।

करारोपण - जनपद क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2013-14 में करारोपण हेतु प्रेरित किया गया, जिसके फलस्वरूप समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा कर संग्रह की कार्यवाही को प्राथमिकता पर लेकर जल कर, सम्पत्ति कर, बाजार कर आदि में उल्लेखनीय कार्य किया।

आडिट - जनपद क्षेत्रांतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों का वर्ष 2013-14 में आडिट सम्पन्न हो चुका है।

आवास मिशन - शासन की अतिमहत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन अंतर्गत निर्धन/पात्र हितग्राहियों को इस योजना अंतर्गत आवास निर्माण हेतु बैंक के माध्यम से अनुदान स्वीकृत किया जाता है। उक्त योजना के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों के द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है।

स्वसहायता समूह द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्य - एस.जी.एस.वाय. योजना अंतर्गत शासन निर्देशानुसार जनपद क्षेत्रांतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में स्वसहायता समूहों का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत बैस में स्वसहायता समूह द्वारा सोया पनीर का संयंत्र स्थापित किया है, जिससे महिलायें अपनी आजीविका चला रही हैं। समस्त ग्राम पंचायतों में डेयरी के समूह सक्रिय हैं, वे सभी दुग्ध उत्पादन से अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं। स्वसहायता समूहों द्वारा समस्त स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का भी सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि उत्कृष्ट कार्य करने पर विदिशा जिले की जनपद पंचायत विदिशा को राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल 2015 के अवसर पर नई-दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार माननीय श्री वीरेन्द्र सिंह केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार एवं माननीय श्री निहालचंद, राज्य मंत्री भारत सरकार के द्वारा श्रीमती रामदेवी ठाकुर अध्यक्ष जनपद पंचायत विदिशा को सम्मान स्वरूप प्रदान किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत विदिशा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ठर्र एवं हिनोतिया को भी सराहनीय कार्य करने पर पुरस्कृत किया गया। आयोजन में म.प्र. का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री रघुवीर श्रीवास्तव आयुक्त पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल उपस्थित थे।

प्रदेश का हर गाँव बनेगा स्मार्ट विलेज

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 मई को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिये कि प्रदेश के हर गाँव को अगले पाँच साल में स्मार्ट विलेज बनाया जायेगा। स्मार्ट विलेज सुनियोजित ढंग से विकसित ग्राम होंगे। इसके लिये अगले एक माह में एकीकृत ग्राम विकास योजना बनाई जायेगी। प्रदेश में स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म-दिवस आगामी 25 सितम्बर से गरीब कल्याण वर्ष मनाया जायेगा। जिसमें गरीबों के लिये आजीविका, आवास सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों का कल्याण किया जायेगा। आगामी जुलाई माह से प्रदेश में पाँचवीं तक के सभी शासकीय स्कूलों में मध्यान्ह-भोजन कार्यक्रम में सप्ताह में तीन बार दूध भी दिया जायेगा। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव और मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि ग्रामों में जल स्त्रोतों की सफाई का अभियान चलाया जाये। ग्रामीण विकास की योजनाओं में निर्मित परिसम्पत्तियों का उपयोग सुनिश्चित किया जाये। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। प्रदेश में प्लास्टिक वेस्टेज के रिसाइकल्स से निर्मित सड़कों की गुणवत्ता को देखते हुए इसे बढ़ावा दिया जाये। इससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। जिन हितग्राहियों को आवास योजना में आवास स्वीकृत हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से पत्र भेजा जाये। सहरिया और बैगा जैसी जनजातियों के हितग्राहियों के लिये आवास निर्माण का अभियान चलाया जाये। वर्ष 2018 तक प्रदेश के प्रत्येक घर में शौचालय बनवाये जायें। मुख्यमंत्री ने मनरेगा की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि योजना में मजदूरी का भुगतान समय से किया जाये। पंच परमेश्वर योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम के समन्वित विकास की योजना बनाई जाये। मुख्यमंत्री ग्राम हाट बाजार योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाये। ग्रामों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करें।

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 12 हजार 471 किलोमीटर लंबाई की 5,836 सड़कें बनाई गई हैं। इन पर 2,169 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित ग्रेवल सड़कों के डामरीकृत सड़कों में उन्नयन की परियोजना विश्व बैंक को भेजी गई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 5,239 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। सड़कों की गुणवत्ता की जाँच के लिये प्रत्येक जिले में लेब स्थापित की गई है। इंदिरा आवास योजना में 95 हजार 435 आवास तथा मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना में 6,037 आवास निर्माणाधीन है। प्रदेश में विशेष गाम सभाएँ कर आवासहीनों की सूची बनाई जायेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में 4 लाख 92 हजार हितग्राहियों को आवासीय ऋण उपलब्ध करवाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में 5 लाख 21 हजार घर में शौचालय बनवाये गये हैं। एकीकृत जल-ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 65 हजार 375 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से 71 लाख 86 हजार बच्चों को लाभान्वित किया गया है। विदिशा जिले में मध्यान्ह भोजन के तहत स्कूलों में दूध के प्रदाय से कुपोषण रोकने में मदद मिली है। मनरेगा में प्रदेश में 11 करोड़ 71 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया है। पंच परमेश्वर योजना में ग्राम पंचायतों को बीते चार वर्ष में 5,108 करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिये उपलब्ध करवाये गये हैं। इस योजना में ग्रामों में सीमेंट-कांक्रीट रोड तथा नालियों के निर्माण करवाये गये। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में प्रदेश में एक लाख 365 स्व-सहायता समूह बनाये गये। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

नीति आयोग

नीति आयोग का स्वरूप सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय

नई दिल्ली में 8 फरवरी को प्रधानमंत्री निवास पर नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नीति आयोग का स्वरूप सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय है। सभी राज्य और केन्द्र के प्रमुख लोग एक साथ बैठकर राज्यों के विकास की दिशा पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती योजना आयोग में पहले से राज्यों को आवंटन निर्धारित होता था। बैठकें मात्र औपचारिक होती थीं और राज्य 25-50 करोड़ की वृद्धि के साथ लौट आते थे।

बैठक में आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया, पूर्णकालिक सदस्य द्वय श्री विवेक देबोराय एवं डॉ. वी.के. सारस्वत, सदस्य तथा विशेष आमंत्रित केन्द्रीय मंत्रीगण, देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नीति आयोग के वृहद स्वरूप की बैठक में एक साथ सारे राज्य के बिन्दुओं पर चर्चा होना संभव नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस संबंध में तीन-चार अलग-अलग समूह बनाकर समूहों की बैठक में चर्चा कर निर्णय लिये जायें, तो ज्यादा सार्थक होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व भारत को नयी दृष्टि और आशा के साथ देख रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कूटनीतिक समझ और विदेश नीति के चलते विश्व में भारत की एक नयी छवि बनी है। उन्होंने अपनी हालिया अमेरिका यात्रा की सफलता को भारत के प्रति नयी दृष्टि का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि विदेशों में बसे भारतीय अपने राज्य और देश के प्रति योगदान करने के लिये उत्सुक हैं। हर राज्य को चाहिये कि वह मध्यप्रदेश की तर्ज पर अपना ग्लोबल टेलेन्ट पूल बनाने की पहल करे। उन्होंने कहा कि यह टेलेन्ट पूल हर स्थिति में मददगार साबित होंगे।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का बतौर मुख्यमंत्री लम्बा अनुभव रहा है। वे जानते हैं राज्यों की स्थितियों और कार्यप्रणाली में कैसे रचनात्मक बदलाव लाये जा सकते हैं। मजबूत सहकारी संघीय व्यवस्था और राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से राष्ट्र का तेजी से विकास होगा। साथ ही राज्यों और केन्द्र के रिश्तों में भी मजबूती आयेगी। श्री चौहान ने कहा कि आज की बैठक में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में टीम इंडिया की भावना पूरी मुखरता से सामने आयी।

उन्होंने बताया कि नीति आयोग की प्रथम गवर्निंग काउंसिल की बैठक में तीन उप समितियाँ बनाने, जो क्रमशः 66 केन्द्र पोषित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, क्षेत्रीय विशेषता को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास और स्वच्छता को भारतीय जीवन में पूर्ण शुचिता से अंगीकार करने वाली संस्थागत प्रणाली को विकसित करने का महत्वाकांक्षी कार्य निष्पादित करेंगी। प्रधानमंत्री जी ने सभी से अपने-अपने राज्य में दो टास्क फोर्स के गठन की बात कही है।

एक टास्क फोर्स पूरी तरह से राज्य से गरीबी उन्मूलन और दूसरी टास्क फोर्स प्रदेश के भावी विकास, कृषि और इन कार्यों में केन्द्र कैसे राज्य का सहयोगी हो, इस सम्बन्ध में ठोस कार्य करेगी।

केन्द्र की योजनाओं का युक्तियुक्तकरण

नीति आयोग के उप समूह की बैठक

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के युक्तियुक्तकरण के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 28 मई को मंत्रालय में नीति आयोग के उप समूह की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के स्वरूप और फण्डिंग के बारे में अंतिम दौर का विचार-विमर्श किया गया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सुझावों पर सिफारिशें तैयार कर ली गई हैं। उप समूह की अंतिम बैठक दिल्ली में आगामी 13 जून को होगी। इसके बाद उप समूह अपनी अनुशंसाओं का प्रतिवेदन नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को सौंपेगा।

बैठक में नागालेंड के मुख्यमंत्री श्री टी.आर. झेलियांग, केरल के मुख्यमंत्री श्री ओमन चाण्डी, अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नाबम तुकी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चन्द्रशेखर राव, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास और अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री ए.के. सिंह शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में कहा कि उप समूह द्वारा राज्यों को मजबूत बनाने और उनकी अपेक्षाओं के साथ और केन्द्र के संसाधनों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अनुशंसाएँ की जायेंगी। पूरे देश के प्रतिनिधित्व के साथ अनुशंसाएँ करते समय राज्यों के साथ राष्ट्र के हित का ध्यान रखा जायेगा। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र का हिस्सा पचास प्रतिशत से कम नहीं हो इस पर लगभग सभी राज्य सहमत हैं। इन योजनाओं में फण्डिंग पेटर्न कम से कम 5 साल तक एक जैसा हो तथा केन्द्र प्रवर्तित क्षेत्र की आधारभूत योजनाओं की संख्या 20 से 25 के बीच हो। शेष योजनाओं के विकल्प उपलब्ध रहें। एक योजना में कई घटक हों और राज्य हर घटक अपनाने को बाध्य नहीं हों। केन्द्र प्रवर्तित क्षेत्र में लगभग 25 प्रतिशत फ्लेक्सी फंड हो। इससे राज्यों को प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र में धनराशि खर्च करना आसान होगा। केन्द्र प्रवर्तित योजना में अप्रैल और अक्टूबर माह में दो किश्तों में राशि मिले। पहले से चल रही अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिये वर्ष 2017 तक केन्द्र राशि उपलब्ध करवाये। राज्यों की दीर्घकालीन योजना निर्माण में नीति आयोग मदद करे। नीति आयोग ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध करवाये, जहाँ राज्य अपनी समस्याओं पर विचार कर सकें तथा नवाचारों को आपस में साझा कर सकें।

मुख्यमंत्रियों के सुझाव - तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि किसी भी कीमत पर राज्यों पर भार नहीं आना चाहिए और राज्य के हिस्से में कमी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा सरप्लस घोषित हुए राज्य वित्तीय रूप से प्रभावित हुए हैं। केंद्र की योजनाओं में केंद्र का योगदान 80 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए भले ही ऐच्छिक योजनाओं में से कटौती करना पड़े। उन्होंने कहा कि वित्तीय जवाबदारी एवं बजट प्रबंधन अधिनियम से अपेक्षाएँ हैं। वित्तीय व्यवस्थापन के सम्बन्ध में भी जल्दी निर्णय लेना होगा।

नागालेंड के मुख्यमंत्री श्री टी.आर. झेलियांग का कहना था कि उत्तर पूर्व के प्रदेशों का केंद्रीय योजनाओं में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बी.आर.जी.एफ. जैसी योजना जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण भी जारी रखना होगा। नागालेंड जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों को विशेष दर्जा जारी रखते हुए मदद करने की पहल

होना चाहिए।

केरल के मुख्यमंत्री श्री ओमन चांडी ने तटीय राज्य होने के कारण विशेष केन्द्रीय योजनाएँ बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि नए फंडिंग पेटर्न के कारण राज्यों को नुकसान नहीं होना चाहिए। जितना राज्यों को पहले मिल रहा था उससे कम नहीं होना चाहिए। राज्य की लोन (ऋण) लेने की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए।

झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि बी.आर.जी.एफ. को दो साल तक बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे फण्ड का पूरा उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि समृद्ध राज्यों को केंद्रीय योजनाओं में ज्यादा हिस्सेदारी देने का फार्मूला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनवरी के बाद केंद्रीय योजनाओं में राशि नहीं दी जाना चाहिये क्योंकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले व्यावहारिक रूप से पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाता। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नाबम तुकी का मानना था कि केंद्रीय योजनाओं की राशि दो किश्तों में दी जाना चाहिए। पहली किश्त मई में और दूसरी किश्त नवंबर में। अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री ए.के. सिंह ने कहा कि हर केंद्र शासित प्रदेश की अलग-अलग जरूरतें होती हैं इसलिए इनके लिए अलग फंडिंग पेटर्न अपनाने की जरूरत है। राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की ओर से उनके प्रतिनिधि अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में नीति आयोग की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री सिंधुश्री खुल्लर एवं वरिष्ठ अधिकारी राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल जैन, वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अजयनाथ, अपर मुख्य सचिव योजना श्रीमती अजिता वाजपेयी पांडे, प्रमुख सचिव वित्त श्री आशीष उपाध्याय, प्रमुख सचिव योजना श्री के. सुरेश और सचिव वित्त श्री अनिरुद्ध मुखर्जी भी उपस्थित थे।

नीति आयोग

सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग बनाया है। नीति आयोग बनाने का मूल उद्देश्य है कि बीतते वर्षों के साथ सरकार का संस्थागत ढांचा विकसित और परिपक्व हुआ है। इससे कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित हुई है जिसने संस्थाओं को सौंपे गए कार्यों की विशिष्टता बढ़ाई है। नियोजन की प्रक्रिया के संदर्भ में शासन की 'प्रक्रिया' को शासन की 'कार्यनीति' से अलग करने के साथ ही साथ उसे ऊर्जावान बनाने की जरूरत है। शासन संरचना के संदर्भ में हमारे देश की जरूरतें बदली हैं ऐसे में एक ऐसे संस्थान की स्थापना की आवश्यकता थी जो सरकार के दिशात्मक और नीति निर्धारक थिंक टैंक के रूप में कार्य करे। प्रस्तावित संस्थान प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारण के प्रमुख तत्वों के बारे में महत्वपूर्ण और तकनीकी सलाह देगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयात के मामले, देश के भीतर और अन्य देशों में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के प्रसार, नए नीतिगत विचारों को अपनाने और विषय आधारित विशिष्ट सहायता शामिल है। यह आयोग लगातार बदल रहे एकीकृत विश्व के अनुरूप कार्य करने में सक्षम होगा। आयोग के तहत व्यवस्था में केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा। इससे त्वरित गति से कार्य करने के लिए और सरकार को नीति दृष्टिकोण उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रासंगिक विषयों के संदर्भ में संस्थान के पास आवश्यक संसाधन, ज्ञान, कौशल और क्षमता होगी। नीति आयोग को राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, विषय विशेषज्ञ और संबंधित संस्थानों सहित तमाम हितधारकों के बीच गहन विचार विमर्श के बाद प्रस्तावित किया गया।

उद्देश्य -

- राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। नीति आयोग का विजन बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना है।
- सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है इस तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देगा।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा।
- आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्य नीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है।
- हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देगा जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम होगा।
- रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करेगा और पहल करेगा। साथ ही उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करेगा। निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर मध्यावधि संशोधन सहित नवीन सुधार किए जाएंगे।
- महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को परामर्श और प्रोत्साहन देगा।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा।
- विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
- अत्याधुनिक कला संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ-साथ हितधारकों तक जानकारी पहुंचाने में भी मदद करेगा।
- आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन के सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय निगरानी की जाएगी। ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके।
- कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर।

● **अर्चना शर्मा**

रायसेन में

देश का सबसे बड़ा निःशक्तजन सहायता शिविर

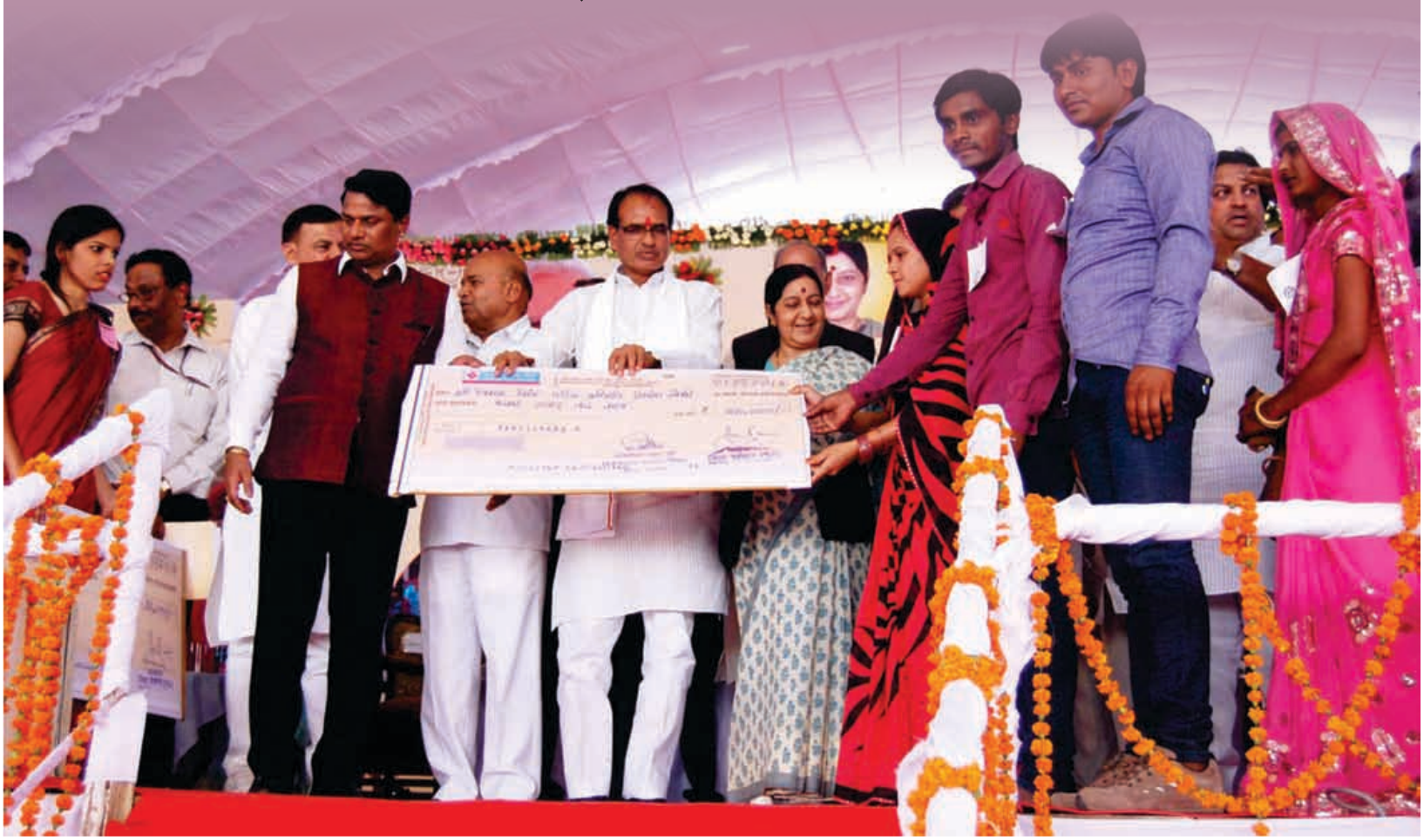

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय और रायसेन जिला प्रशासन द्वारा आयोजित देश के सबसे बड़े जिला स्तरीय सामाजिक अधिकारिता शिविर को संबोधित करते हुए 2 मई को निःशक्त जोड़ों के विवाह पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की घोषणा की। यह राशि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में मिलने वाली 25 हजार रुपये के अतिरिक्त होगी।

उन्होंने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा भोपाल में निःशक्त जन-कल्याण के लिये स्थापित कम्पोजिट रीजनल सेंटर के लिये जमीन देने के प्रस्ताव पर सहमति देते हुए राज्य सरकार की ओर से आवश्यक जमीन उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की। शिविर में 4,700 से ज्यादा निःशक्त लोगों को सहायता उपकरण वितरित किये गए। लाभान्वितों की संख्या के हिसाब से यह देश का सबसे बड़ा जिला स्तरीय निःशक्त जन सहायता शिविर था।

निःशक्तजन के लिए राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकारी नौकरियों में छह प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उनके बच्चों को स्कालरशिप दी जा रही है। रोजगार प्राप्त करने और स्वयं का रोजगार शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए निःशक्त लोगों के लिए विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने भारत सरकार से ऐसे शिविर हर जिले में लगाने का अनुरोध करते हुए कहा कि इसके लिये राज्य शासन की ओर से हर प्रकार का सहयोग दिया जायेगा। उन्होंने मूक-बधिरों को ऑपरेशन में सहायता देने भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य शासन भी ऐसे लोगों के इलाज के लिए हर प्रकार से सहयोग करेगा।

श्री चौहान ने कहा कि निःशक्तजन भी थोड़ी सी सहायता से सामान्य जीवन बिता सकते हैं। उनकी सेवा ही सबसे बड़ी मानव सेवा है। नेपाल में भूकंप त्रासदी की चर्चा

अन्त्योदय मेलों का होगा आयोजन

25 सितम्बर 2015 से 31 मार्च 2016 तक प्रदेश के सभी जिलों में विशाल मेले लगेंगे

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 मई को सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान प्रदेश में विशाल अन्त्योदय मेले लगाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि 25 सितम्बर, 2015 से 31 मार्च, 2016 की अवधि में प्रदेश के सभी जिलों में मेला लगाया जाए। बैठक में विभागीय मंत्री श्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समग्र सुरक्षा कार्यक्रम की मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिला स्तरीय अन्त्योदय मेले में संबंधित विभाग के मंत्री, सचिव भी उपस्थित रहेंगे। वे स्वयं भी मेलों में शामिल होंगे। मेले का स्वरूप दरिद्रनारायण की सेवा से हो। मेलों के साथ ही निःशक्तजन कल्याण का विशेष अभियान भी संयोजित किया जाये। मेले में निःशक्तजन के लिए अलग से व्यवस्था हो। उन्होंने निःशक्तजन के सशक्तीकरण प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के समग्र प्रयास के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निःशक्तता की प्रकृति के अनुसार रोजगार के क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जाये। उसमें नियोजन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायें। उन्होंने किन्नर बोर्ड का शीघ्र गठन किये जाने की जरूरत बताई। विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन से सम्बद्ध स्वैच्छिक, अशासकीय संस्थाओं का नियमित निरीक्षण करवाने के लिए भी कहा। धार्मिक स्थलों पर रैनबसेरों के निर्माण को बढ़ाने और नये क्षेत्र चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने समग्र और मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनाओं की अलग से समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिये।

बैठक में बताया गया कि मानसिक निःशक्तजन को चाय की पेकिंग और मृगनयनी के लिए पेपर बेग बनाने के काम में नियोजित करवाया गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने 2 हजार 140 निःशक्तजन का कौशल उन्नयन किया है।

राष्ट्रपति ने निःशक्तजनों के सशक्तीकरण, संवर्धन में सर्वोत्तम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2014-15 मध्यप्रदेश को दिया है। निःशक्तजन विवाह योजना में 6,257 निःशक्तजन के विवाह सम्पन्न हुए हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 3 लाख 11 हजार 735 विवाह और मुख्यमंत्री निकाह योजना में 4 हजार 938 निकाह हुए हैं। विभाग द्वारा समग्र पोर्टल के माध्यम से 29 लाख 80 हजार हितग्राहियों को पेंशन की 6 योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

करते हुए श्री चौहान ने जन समुदाय से पाँच मई, मंगलवार को सुबह 11 बजे एक मिनिट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की।

केन्द्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने विशाल निःशक्त जन कल्याण शिविर आयोजन के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय और रायसेन जिला प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि शारीरिक अक्षमता के लिए अपंग या विकलांग जैसे शब्दों का उपयोग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंद हो गया है क्योंकि ऐसे लोगों को अन्य प्रकार से सक्षम माना जाता है। उन्होंने कहा कि अपनी क्षमताओं को विकसित कर शारीरिक अक्षमता पर विजय प्राप्त की जा सकती है।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार निःशक्तजन के सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक विकास के लिये प्रतिबद्ध है। उनकी सहायता के लिये आधुनिक उपकरण बनाये जा रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिये वित्तीय मदद भी दी जा रही है। केन्द्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने बताया कि मंत्रालय के अंतर्गत निःशक्तजन सशक्तीकरण विभाग स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत निःशक्तजन कल्याण के लिये काम करने वाले सभी संस्थान, निगम संचालित हैं। उन्होंने निःशक्तजन कल्याण योजनाओं की विस्तार से चर्चा की।

जीवन बने आसान समग्र से हर समाधान

पात्रता आधारित गवर्नेंस

समग्र पोर्टल से पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन

समग्र पोर्टल पर प्रदेश में निवासरत परिवारों और परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया गया है। पोर्टल पर परिवार तथा परिवार के सदस्यों के पंजीयन के साथ ही समग्र पोर्टल से स्वतः ही परिवार के लिये 8 अंकों का यूनिक समग्र परिवार आई.डी. एवं परिवार सदस्य के लिये 9 अंकों का यूनिक समग्र सदस्य आई.डी. जनरेट हो जाता है। यह समग्र परिवार आई.डी. तथा सदस्य आई.डी. की जानकारी किसी भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायक होता है।

समग्र पोर्टल पर प्रदेश में निवासरत परिवारों और परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया गया है। पोर्टल पर परिवार तथा परिवार के सदस्यों के पंजीयन के साथ ही समग्र पोर्टल से स्वतः ही परिवार के लिये 8 अंकों का यूनिक समग्र परिवार आई.डी. एवं परिवार सदस्य के लिये 9 अंकों का यूनिक समग्र सदस्य आई.डी. जनरेट हो जाता है। यह समग्र परिवार आई.डी. तथा सदस्य आई.डी. की जानकारी किसी भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायक होता है। इसी डाटाबेस का उपयोग कर विभिन्न योजनाओं जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति एवं शिक्षा प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता एवं विवाह सहायता इत्यादि का लाभ दिया जा रहा है।

समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के माध्यम से शासन के मंशानुरूप पारदर्शी प्रशासन, योजनाओं के दोहरीकरण पर रोक, पात्रतानुसार योजना का लाभ, बार-बार आवेदन से मुक्ति एवं हितग्राही के द्वार पर सेवा आदि को साकार रूप दिया जा रहा है, जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस (Proactive Governance) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस आने के पूर्व जो प्रचलित व्यवस्था थी, उसे मांग आधारित गवर्नेंस कहा जा सकता है।

मांग आधारित गवर्नेंस (Demand Based Governance)- प्रायः विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्व में मांग आधारित व्यवस्था थी, जिसमें व्यक्ति को स्वयं कार्यालय तक जाना पड़ता था। वह किस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता था, उसे संबंधित कार्यालय को बताना पड़ता था, आवेदन करना होता था तथा यदि कार्यालय को समझ में आ गया तो प्रकरण में कार्यवाही हो जाती थी। अन्यथा वह व्यक्ति पुनः अन्य वरिष्ठ कार्यालयों के चक्कर काटता रहता था। यदि उसकी किस्मत अच्छी हुई तो उसका कार्य हो जाता था अन्यथा वह बिना सहायता प्राप्त किये रह जाता था, जिससे व्यक्ति का समय तो खराब होता ही था, साथ ही उसे शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती थी।

दूसरी तरफ यदि कार्यालय में व्यक्ति का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता तो आवेदन के निराकरण हेतु एक लंबी कार्यालयीन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती, जिसमें पत्र आवक होने से लेकर लिपिक द्वारा प्रस्तुतीकरण तथा आदेश प्राप्ति हेतु अधिकारी को प्रस्तुत करना होता। फिर उक्त आवेदन जांच की प्रक्रिया से गुजरता। किसी को पाबंद किया जाता कि आवेदन की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे। इस हेतु एक कर्मचारी जो जांच हेतु जाता उसके टी.ए./डी.ए. आदि की व्यवस्था करना होती। जांच के लिए जाने पर संबंधित स्थान पर यदि आवेदक मिल गया हो तो ठीक, अन्यथा फिर दुबारा जांच के लिए जाना होता। प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर उसे समिति के समक्ष रख कर उसकी स्वीकृति प्राप्त करना, संबंधित का खाता खुलवाना आदि में कम से कम 4 से 6 माह का समय निकल जाता। हितग्राही के खाते में कभी राशि पहुंचती, कभी नहीं पहुंचती। कभी केश पेमेंट के नाम पर राशि उपलब्ध नहीं हो पाती आदि कई कठिनाईयां परिलक्षित हुईं।

मांग आधारित गवर्नेंस के तहत हितग्राहियों द्वारा महसूस की गई कठिनाईयां-

- हितग्राही को योजना का लाभ लेने के लिए ऑफिस के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे व अनेक बार आवेदन करना होता था, जिससे व्यक्ति का समय तो खराब होता था, साथ ही उसे शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती थी।
- कागजी कार्यवाही में काफी समय व अधिक मात्रा में कागज इत्यादि चीजों का नुकसान भी होता था।
- बार-बार सत्यापन की कार्यवाही से हितग्राही एवं शासकीय अमले को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था।
- कार्यालय द्वारा राशि वितरण में इतनी लापरवाही होती थी कि तीन-तीन माह

में वितरण की कार्यवाही की जाती थी तथा 3 माह के बदले 1-2 माह की राशि देकर तीन माह पर हितग्राही के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान ले लेते थे, इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती थीं।

- मृत तथा फर्जी हितग्राहियों के नाम से राशि के गबन की शिकायतें भी प्राप्त होती थीं।
- शासन से बढ़ी हुई राशि हितग्राहियों को उपलब्ध नहीं कराई जाती थी।
- नगद अथवा चैक के माध्यम से राशि का वितरण किया जाता था, जिससे सही राशि पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थी।
- हितग्राही आई.डी. ना होने के कारण मूल सूची से मिलान नहीं हो पाता था।
- योजनाओं के दोहरीकरण की संभावना भी अधिक रहती थी।
- हितग्राही को त्वरित लाभ प्राप्त नहीं होता था।
- नियम एवं प्रक्रिया में काफी जटिलता थी।
- पारदर्शिता का अभाव था।
- सहायता राशि प्राप्त होने में काफी समय लगता था।
- अलग-अलग योजनाओं के लाभ के लिए अलग-अलग आवेदन करने होते थे।

पात्रता आधारित गवर्नेंस (Entitlement Governance)-

उपरोक्त कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार एवं परिवार के सदस्यों का डाटाबेस तैयार किया गया। मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत मध्यप्रदेश के समस्त परिवारों (1.89 करोड़) तथा समस्त सदस्यों की मूलभूत जानकारी (नाम, आयु, जाति, बीपीएल, निःशक्तता, श्रमिक संवर्ग, आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता इत्यादि) प्रपत्र के माध्यम से एकत्रित कर समग्र जनसंख्या पोर्टल पर ऑनलाइन किया गया है। इस प्रकार समग्र पोर्टल पर समस्त परिवार एवं परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जानकारी का एकीकृत डाटाबेस तैयार हुआ।

समग्र डाटाबेस पर दर्ज परिवार एवं व्यक्ति की प्रोफाइल का सॉफ्टवेयर द्वारा विश्लेषण कर पेंशन योजना अंतर्गत पात्रता के आधार पर संबंधित हितग्राही की पात्रता सुनिश्चित की गई। जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकायों द्वारा पात्र व्यक्ति की पहचान पोर्टल पर कर दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन की कार्यवाही कर हितग्राही को पेंशन स्वीकृत की जाती है। पात्रता आधारित गवर्नेंस के तहत पोर्टल पर दर्ज प्रोफाइल के अनुसार पेंशन योजना अंतर्गत पात्र व्यक्ति स्पष्ट देख सकेगा कि उसे किस योजना के तहत क्या पात्रता है तथा कितनी राशि की स्वीकृति दी जाना है। तदनुसार प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरांत तत्काल स्वीकृति जारी कर राशि सीधे संबंधित के खाते में तत्काल भेजी जा सकती है। अलग-अलग योजनाओं के लाभ के लिए पृथक-पृथक आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस डाटाबेस के आधार पर शासन की विभिन्न हितग्राही तथा परिवार मूलक योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को उनके बैंक खाते के माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है, जो सुशासन की एक अभिनव पहल है।

समग्र पेंशन पोर्टल पर निम्न सुविधाएं एवं रिपोर्ट उपलब्ध हैं -

- **ऐसे व्यक्तियों की सूची जो पेंशन योजनाओं की शर्तों को पूर्ण करते हैं, किंतु पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं।**

पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं करने का कारण व्यक्तियों को संभवतः योजनाओं की जानकारी का अभाव भी हो सकता है, जिसके कारण लाभ प्राप्त करने के लिये उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया हो। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार साफ्टवेयर के द्वारा बहुत सारे ऐसे हितग्राही चिंहित किये गये हैं जो कि पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी अनुसार इन योजनाओं में पात्रता रखते हैं, लेकिन यह भी संभव है, कि उपलब्ध जानकारी में कुछ त्रुटियां हों या वह जानकारी पूर्णतः त्रुटि रहित हो। प्रथम बार योजना का लाभ देने के लिये संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन पश्चात हितग्राही को पात्रतानुसार योजना का लाभ दिया जाता है। अतः सत्यापन पश्चात् ऐसे पात्र हितग्राहियों को योजनांतर्गत लाभांवित किया जा सकता है।

- **ऐसे व्यक्ति जो दो माह में योजना की शर्तों को पूर्ण करेंगे**

पोर्टल पर ऐसे हितग्राहियों की सूची उपलब्ध है जो आगामी दो माह में पात्रता के आधार पर किसी पेंशन की योजना हेतु पात्र होंगे। अतः उन हितग्राहियों का इस अवधि में सत्यापन किया जाकर जैसे ही अवधि पूर्ण होती है, उन्हें लाभांवित किया जा सकता है।

- **पेंशन के लिये ऑनलाइन आवेदन की सुविधा**

समग्र पोर्टल पर परिवार एवं सदस्यों के पंजीयन का कार्य संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किया गया है व बीपीएल सत्यापन भी स्थानीय निकाय द्वारा ही किया गया है। अतः समग्र पेंशन पोर्टल पर पात्रता के आधार पर कोई भी पात्र व्यक्ति समग्र आई.डी. की सहायता से पात्रतानुसार योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक को पृथक से पोर्टल पर किसी दस्तावेज को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन करते समय व्यक्ति का मोबाइल नम्बर व बचत खाता नम्बर प्रविष्ट कराया जाना आवश्यक किया गया है।

पेंशन पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की सूची जनपद पंचायत/नगरीय निकायों को रियल टाइम (तत्काल) उपलब्ध कराई जाती है, संबंधित पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट निकालकर आवेदन को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को तथा नगरीय क्षेत्र की स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय को 5 कार्य दिवसों में जांच व भौतिक सत्यापन हेतु भेजा जाता है। जांच हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र की स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार जांच व भौतिक सत्यापन (आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, निःशक्तता, बचत खाता नम्बर इत्यादि) करवाकर 20 कार्य दिवस में संबंधित पदाभिहित अधिकारी को प्रतिवेदन भेजा जाता है। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन को ऑनलाइन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत (कारण सहित) किया जाता है। स्वीकृत व अस्वीकृत ऑनलाइन आवेदन पत्रों का संधारण पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

ऑटो स्विच से बढ़ी हुई पेंशन का लाभ आसान

समग्र पेंशन पोर्टल पर ऐसे पेंशन हितग्राही जो पूर्व में स्वीकृत पेंशन योजना के अतिरिक्त किसी अन्य पेंशन योजना की शर्तों को पूर्ण करते हैं, जिसमें उन्हें अधिक राशि का लाभ प्राप्त हो सकता है, को सॉफ्टवेयर के माध्यम से चिन्हित करने तथा Auto Switch करने की कार्यवाही राज्य स्तर से की गई। इस कार्यवाही के पश्चात् संबंधित स्थानीय निकायों (जनपद पंचायत/नगरीय निकाय) द्वारा उन हितग्राहियों को बढ़ी हुई राशि वाली पेंशन योजना के तहत स्वीकृति की कार्यवाही की गई।

समग्र पेंशन पोर्टल द्वारा पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्रताओं जैसे कि बी.पी.एल. परिवार का सदस्य, निःशक्तता व उसका प्रतिशत, वैवाहिक स्थिति, आयु इत्यादि का विश्लेषण कर स्वतः ही कम सहायता राशि वाली पेंशन योजना से अधिक सहायता वाली पेंशन योजना में Switch कर दिया जाता है तथा स्थानीय निकायों की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जाता है। जिससे हितग्राही को बढ़ी हुई सहायता राशि वाली योजना का लाभ प्राप्त होता है।

प्रोएक्टिव गवर्नेंस (Proactive Governance) - समग्र पेंशन पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के कुल 29,80,310 पेंशन हितग्राहियों को पोर्टल पर सत्यापित कर उनके बचत खाते में सीधे पेंशन राशि का भुगतान प्रतिमाह किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रारंभ में अप्रैल माह में पेंशन योजनाओं की पात्रता के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से 3,22,296 पेंशन हितग्राहियों को कम सहायता राशि वाली पेंशन योजना से अधिक सहायता वाली पेंशन योजना में Auto Switch किया गया।

पात्रतानुसार बढ़ी हुई पेंशन राशि रुपये 150/- के स्थान पर राशि रुपये 300/-, राशि रुपये 200/- के स्थान पर राशि रुपये 300/-, राशि रुपये 275/- के स्थान पर राशि रुपये 300/- एवं राशि रुपये 300/- के स्थान पर राशि रुपये 500/- प्रतिमाह प्रदाय की जा रही है, जिससे बढ़ी हुई पेंशन राशि लगभग 1.77 करोड़ प्रतिमाह, वार्षिक लगभग 21.04 करोड़ प्रदाय की जा रही है। यह जानकारी वित्तीय वर्ष 2014-15 के पेंशनर्स जिनकी संख्या 3.22 लाख है के विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है।

इसी प्रकार अगले माह से प्रतिमाह Auto Switch के माध्यम से ऐसे सत्यापित पात्र पेंशनरों की राशि में बढ़ोत्री समग्र पोर्टल के माध्यम से की जावेगी। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान वर्तमान उपलब्ध पेंशनर्स डाटाबेस के आधार पर लगभग 30,014 पेंशनर्स भी बढ़ी हुई राशि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

ऑटो स्विच के परिणाम

- हितग्राही को बार-बार आवेदन करने एवं बार-बार के सत्यापन कार्य से मुक्ति मिली है। यदि Auto Switch की व्यवस्था लागू नहीं होती तो जो 3.22 लाख हितग्राही बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें कार्यालय में पुनः आवेदन करना होता। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अगर उन्हें पुनः आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होती तो इनमें ज्यादातर आवेदक आवेदन की प्रस्तुत नहीं करते जिसके चलते उन्हें बढ़ी हुई राशि वाली पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता यानि कि वास्तव में बहुत कम आवेदक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने और फलस्वरूप बहुत कम संख्या में आवेदकों को बढ़ी हुई राशि वाली पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होता। दूसरी तरफ अगर हम यह मान भी लें कि उन्हें 313 जनपद पंचायतों एवं 377 नगरीय निकायों में ये आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ता। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् जांच हेतु ये आवेदन पत्र 23006 ग्राम पंचायतों एवं 377 नगरीय निकायों के विभिन्न जोन एवं वार्ड कार्यालयों में भेजे जाते। उक्त आवेदनों की पुनः जांच की प्रक्रिया प्रारंभ होती जिसमें अनुमानतः 24000 कर्मचारी कार्य में संलग्न होते। इन कर्मचारियों के टी.ए./डी.ए. इत्यादि की व्यवस्था भी करनी होती, जिसमें राशि का अतिरिक्त व्यय भी होता। इस प्रकार नवीन व्यवस्था से हितग्राही को पात्रता के आधार पर अधिकारिता स्वरूप त्वरित लाभ समय पर प्राप्त हुआ।
- पेंशन योजनाओं में राज्य सरकार की कम सहायता वाली योजना से लाभांवित 3.22 लाख ऐसे हितग्राही जिन्हें भारत सरकार की अधिक सहायता वाली पेंशन योजना में पात्रता बन रही है, को पोर्टल द्वारा स्वतः स्विच किया गया है जिससे उन्हें बढ़ी हुई सहायता राशि वाली योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार केन्द्रीय बजट से राशि रुपये 4.37 करोड़ प्रतिमाह एवं 52.46 करोड़ वार्षिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त की गई है। इसी प्रकार राज्य के बजट में राशि रुपये 1.75 करोड़ प्रतिमाह तथा राशि रुपये 21.04 करोड़ वार्षिक की बचत हुई है।

● **वर्षा जोशी**

Auto Switch से प्राप्त लाभ

क्र.	योजना जिसके अंतर्गत सत्यापित है		योजना जिसमें Auto Switch किया गया	
	योजना का नाम	राशि	योजना का नाम	राशि
1.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 18 वर्ष से 39 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा महिला	150	40 वर्ष आयु होने पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा महिला	300
2.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 06 वर्ष से 18 वर्ष से कम आयु तक के बी.पी.एल. निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो	150	18 वर्ष आयु होने पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना अंतर्गत 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के बी.पी.एल. निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो	300
3.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की बी.पी.एल. परित्यक्ता महिला	150	60 वर्ष आयु होने पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	200
4.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 60 वर्ष से 64 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा महिला	200	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 60 वर्ष से 64 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा महिला	300
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से 79 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा महिला	275	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से 79 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा महिला	300
6.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 60 वर्ष से 64 वर्ष आयु की बी.पी.एल. निःशक्त जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो	200	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना अंतर्गत 60 वर्ष से 64 वर्ष आयु के बी.पी.एल. निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो।	300
7.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से 79 वर्ष आयु की बी.पी.एल. निःशक्त जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो।	275	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से 79 वर्ष आयु के बी.पी.एल. निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो	300
8.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा महिला	300	80 वर्ष आयु होने पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	500
9.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना अंतर्गत 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के बी.पी.एल. निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो	300	80 वर्ष आयु होने पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	500

पेंशन योजनाओं का गणना पत्रक

क्र.	योजना का प्रकार	योजना का नाम	राशि (राज्यांश/ केन्द्रांश)	योजना का प्रकार	योजना का नाम	राशि (केन्द्रांश)	हितग्राही संख्या	वर्तमान में प्रदाय की जाने वाली बढ़ी हुई राशि (7x8)	पूर्व में प्रदाय की गई राशि (4x8)	Auto Switch के कारण बढ़ी हुई अंतर की की राशि (9-10)	राज्य शासन की बचत		केन्द्र शासन से प्राप्त अतिरिक्त सहायता राशि	
											प्रतिमाह	वार्षिक	प्रतिमाह	वार्षिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	
1	राज्य प्रवर्तित	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 18 वर्ष से 39 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा महिला	(150/0)	केन्द्र प्रवर्तित	40 वर्ष आयु होने पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा महिला	300	56205	16861500	8430750	8430750	0	0	16861500	202338000
2	राज्य प्रवर्तित	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 06 वर्ष से 18 वर्ष से कम आयु तक के बी.पी.एल. निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उसस अधिक हो	(150/0)	केन्द्र प्रवर्तित	18 वर्ष आयु होने पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना अंतर्गत 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के बी.पी.एल. निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो।	300	42	12600	6300	6300	0	0	12600	151200
3	राज्य प्रवर्तित	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की बी.पी.एल. परित्यक्ता महिला	(150/0)	केन्द्र प्रवर्तित	60 वर्ष आयु होने पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	200	184	36800	27600	9200	0	0	36800	441600
4	केन्द्र प्रवर्तित	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 60 वर्ष से 64 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा महिला	(0/200)	केन्द्र प्रवर्तित	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 60 वर्ष से 64 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा महिला	300	29778	8933400	5955600	2977800	0	0	2977800	35733600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	
5	केन्द्र प्रवर्तित	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से 79 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा महिला	(75/200)	केन्द्र प्रवर्तित	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से 79 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा महिला	300	233674	70102200	64260350	5841850	17525550	210306600	23367400	280408800
6	केन्द्र प्रवर्तित	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 60 वर्ष से 64 वर्ष आयु की बी.पी.एल. निःशक्त जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो।	(0/200)	केन्द्र प्रवर्तित	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना अंतर्गत 60 वर्ष से 64 वर्ष आयु के बी.पी.एल. निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो।	300	75	22500	15000	7500	0	0	7500	90000
7	केन्द्र प्रवर्तित	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से 79 वर्ष आयु की बी.पी.एल. निःशक्त जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो।	(75/200)	केन्द्र प्रवर्तित	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से 79 वर्ष आयु के बी.पी.एल. निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो।	300	129	38700	35475	3225	9675	116100	12900	154800
8	केन्द्र प्रवर्तित	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा महिला	(0/300)	केन्द्र प्रवर्तित	80 वर्ष आयु होने पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	500	2208	1104000	662400	441600	0	0	1104000	13248000
9	केन्द्र प्रवर्तित	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना अंतर्गत 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के बी.पी.एल. निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो।	(0/300)	केन्द्र प्रवर्तित	80 वर्ष आयु होने पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	500	1	500	300	200	0	0	500	6000
		कुल योग					322296	97112200	79393775	17718425	17535225	210422700	44381000	532572000

जनप्रतिनिधि पुनर्जीवित कर सकते हैं

परंपरागत जल संस्कृति

आपो वा इदं विश्वा भूता न्यापः प्राणा जल ही विश्व में सर्वत्र व्याप्त है। जल ही प्राण है। शिव पुराण का यह श्लोक वैज्ञानिक रूप से भी सत्य है क्योंकि पृथ्वी पर सत्तर प्रतिशत से अधिक भूभाग में जल ही जल है। विज्ञान मानता है कि जल, सृष्टि की पहली रचना है। इसलिये आध्यात्म में आदि देव महादेव के जलाभिषेक का विधान है। आदि देव को आदि रचना समर्पित जल, भगवान की बहुत बड़ी देन है। चूंकि मानव भूमि, जल और वायु का निर्माण नहीं कर सकता और ये तीनों हमारे जीवन के लिये जरूरी हैं, अतः हमें इनकी रक्षा करना चाहिये ताकि आगामी पीढ़ियां इन जीवनदायी संसाधनों से वंचित न हो जायें। खेद का विषय है कि हमारे जल संसाधन कम होते जा रहे हैं। भूमि के ऊपर और नीचे के जल में दिन प्रतिदिन कमी हो रही है। नदियां अब सालभर नहीं बहतीं, तालाब सूख जाते हैं। कुएं और बावड़ियां या तो खत्म हो रहे हैं या उनका जल स्तर गिरता जा रहा है। हमारे प्रदेश में कई क्षेत्रों में भीषण जलाभाव है। कुछ गांवों के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि वहां लोग अपनी लड़कियों का विवाह इसीलिये नहीं करते क्योंकि वहां घोर जलाभाव है। पानी की कमी का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव महिलाओं को भोगना पड़ता है क्योंकि हमारे देहातों में कुओं से पानी लाने का काम परंपरागत रूप से महिलायें ही करती हैं।

यह लेख हमारे प्रदेश की त्रि-स्तरीय पंचायतों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को समर्पित है। याद रहे कि इनमें एक-तिहाई तो महिलायें हैं, अब इस नवोदित जमीन से जुड़े नेतृत्व के कंधों पर यह दायित्व है कि वह अपने पंचायत क्षेत्रों की एक-एक बूंद पानी का संरक्षण करें और अपने इलाकों में पानी की कमी न होने दें। कमोवेश बरसात तो सभी जगह होती है। लेकिन वर्षा का जल बह जाता है। हमारे समाज में कुएं, बावड़ी, तालाब आदि बनाने की प्रथा सदियों पहले से थी। छोटे-छोटे बांध सभी जगह बनाये जाते थे। जल का प्रबंध करने की एक परंपरागत जल संस्कृति हमारे देश-प्रदेश में रही है। कुछ समय से हम जल प्रबंध के मामले में केवल सरकार पर निर्भर करने लगे हैं। अब हमारे पंचों का यह दायित्व है कि वे पुरानी परंपरागत जल संस्कृति को पुनर्जीवित करके जलाभाव की स्थिति न होने दें। यह काम कठिन नहीं है क्योंकि जल के महत्व को तो हर व्यक्ति समझता है। उसे समझाने की जरूरत नहीं है, हमारी लोक संस्कृति में पानी को लेकर कथा कहावतें हैं।

अगले साल सिंहस्थ जैसा महाकुंभ आने वाला है। यह पर्व मालवा के केन्द्र और महाकाल की नगरी उज्जयिनी में पड़ता है। सभी इसका पुण्यलाभ लेना चाहते हैं। दूर-दूर से करोड़ों लोग, धर्मगण जन समुदाय, यहां क्षिप्रा में स्नान करने आते हैं। तेज गति से बहने वाली सदानीरा नदी को क्षिप्रा कहते हैं। लेकिन हमने क्षिप्रा के जलग्रह क्षेत्रों में वन-वनस्पतियों को उजाड़कर पर्यावरण के साथ जो अन्याय किया है उसके नतीजतन गर्मियों में क्षिप्रा का बहाव ही रुक जाता है। सिंहस्थ गर्मियों में ही पड़ता है। एक बार तो क्षिप्रा को जल प्रवाहित रखने के लिये उसमें गंभीर जलाशय का पानी छोड़ना पड़ा था। यह स्थिति मालवा में बन जाती है जिसके विषय में कहावत मशहूर है :

मालव-भूमि गहन गंभीर।
पग-पग रोटी डग-डग नीर।।

ऐसे सुजलाम् सुफलाम् शस्य श्यामलाम्

मालवा के कुछ नगरों की हालत हमने ऐसी कर दी है कि वहां ट्रेन से पानी की पूर्ति करना पड़ती है। कहीं-कहीं तो दो-दो या तीन-तीन दिन में पानी आता है। सरकार ने सिंहस्थ को सफल बनाने के लिये जोरदार प्रबंध किये हैं। सारी सुरक्षा सुख सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। लेकिन समाज और जनप्रतिनिधियों सहित हम सबका भी दायित्व बनता है कि आगे आकर सरकार का सहयोग करें।

भविष्य पुराण में एक बहुत प्रेरक और सार्थक श्लोक है जिसमें जल प्रबंध के प्रति समाज और व्यक्ति के दायित्व का निरूपण है। इसमें सरकार का कहीं नाम भी नहीं है :

दशकूप समावापी दशवापी समोह्रदः।
दशह्रद सम पुत्रो दशपुत्र समोद्रुमः।।

एक बावड़ी बनाने से दस कुओं के समान पुण्य मिलता है। एक तालाब का निर्माण दस बावड़ियों के बराबर है। दस तालाबों के बराबर एक सुपुत्र है और दस सुपुत्रों के समान वृक्ष। हमारा मध्यप्रदेश तो इस श्लोक का जीता जागता मॉडल है। हमारे यहां कुओं, बावड़ियों और तालाबों की भरमार है। शायद ही कोई क्षेत्र बुन्देलखंड में ऐसा हो जहां चंदेलों द्वारा बनवाये गये तालाब न हों। टीकमगढ़ जिले में ऐसे अनेक तालाब हैं। सागर नगर का तो नाम ही उसके विशाल तालाब के कारण पड़ा है। भोपाल का ताल तो जग जाहिर है। मध्यप्रदेश में तो ऐसी अनेक बावड़ियां हैं जिनमें बड़ी-बड़ी बरातें ठहर सकती हैं। बावड़ी ऐसे कुओं को कहते हैं जो इतने विशाल होते हैं कि उनकी दीवालों पर कमरे और दालानें होती हैं और कुओं में उतरने के लिये सीढ़ियां। लेकिन समय बदला और पानी के प्रति हमारा रवैया भी बदल गया। हमने अपनी दादी नानी के मुंह से सुना था कि पुराने जमाने में बंजारे लोग चलते-फिरते बाजार होते थे। ये लोग उपभोक्ता सामग्री और रसद सैकड़ों बैलगाड़ियों, ऊंटों, घोड़ों, खच्चरों आदि पर लादकर चलते थे और क्रय-विक्रय करते जाते थे। बताते हैं कि ये लाखा बंजारे कहलाते थे क्योंकि उस जमाने में यह लखपति होते थे। ये लोग जहां रुकते वहां अपने ही खुदवाये कुओं, बावड़ियों का पानी पीते थे। इस परंपरा ने लाखा बंजारों द्वारा निर्मित असंख्य जलाशय छोड़े हैं। लेकिन नगरीकरण की बाढ़ ने इनकी न केवल उपेक्षा की बल्कि तालाबों पर बस्तियां बसा लीं।

भूमि, जल, वायु और जनसंख्या एक ही श्रृंखला की अविभाज्य कड़ियां हैं। हम सब कुछ बना सकते हैं लेकिन भूमि और जल नहीं। वर्तमान में तो असंतुलित भू उपयोग के कारण हम इन संसाधनों को बनाने के बजाय बिगाड़ने में लगे हैं। समस्या गंभीर है। लेकिन हमारे जागरूक जन-प्रतिनिधि त्रि-स्तरीय पंचायतराज की व्यवस्था में इस स्थिति को सुधारने में सर्वथा समर्थ हैं। जरूरत है इच्छाशक्ति की।

हमारे देश में दुनिया की आबादी के सत्रह प्रतिशत से ज्यादा लोग रहते हैं जबकि हमारी भूमि दुनिया के रकबे की मात्र दो प्रतिशत और जल संसाधन विश्व के ताजे जल के संसाधनों के सिर्फ चार प्रतिशत हैं। हमारी उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हिमालय के बर्फीले शिखरों से निकलती हैं। लेकिन मौसम की विषमता और विश्वतम में वृद्धि के कारण ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हम गंगा, यमुना जैसी नदियों में भी प्रदूषण कर रहे हैं। हमारी नर्मदा इसका अपवाद नहीं है। सरकार ने नर्मदा क्षिप्रा को जोड़कर बहुत बड़ा काम किया है। बुन्देलखण्ड की केन, चम्बल, बेतवा जैसी नदियों के लिये भी योजनाएं हैं। लेकिन इन नदियों की रक्षा तो हमें ही करना है। नदियां सदानीरा तभी रह सकती हैं जब उनके जलग्रहण क्षेत्र वनों और वनस्पतियों से ढंके रहें ताकि वर्षा का जल एक ओर तेजी से न बहे और दूसरी ओर भूमिगत जल संसाधन बने। हमने अंधाधुन्ध भूमि में ट्यूबवेल खोद-खोदकर जमींदोज जल संसाधनों का लगभग खात्मा कर दिया है।

जल संरक्षण, वाटरशेड मैनेजमेंट आदि के लिये बहुत से मिशन काम कर रहे हैं। यद्यपि इन्हें सरकारी सिंचाई पी.डब्ल्यू.डी. या पी.एच.ई. विभागों के माध्यम से भी कराया जा सकता है लेकिन विभिन्न मिशनों के तहत ये काम जनपद और जिला पंचायतों की निगरानी में स्थानीय जनता के माध्यम से करवाये जा रहे हैं। मैंने आगर-मालवा में ऐसे काम देखे हैं और उनके परिणाम अच्छे आये हैं। वहां पंचायतें कुओं का वाटर-लेवल नापती हैं जिनमें आशाजनक सफलता मिली है। जागरूक और प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब इन कामों में मेरा क्या की बदनीयती नहीं चलेगी और मुझे क्या की उदासीनता भी नहीं चलेगी। नव निर्वाचित नेतृत्व ही प्रधानमंत्री के सपनों को साकार कर सकता है। हमारे मुख्यमंत्री स्वयं विकास के हर पहलू में गहरी रुचि लेते हैं। जल संरक्षण तो विकास का मूलाधार है।

अनुमान है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये रोजाना कम से कम पचास लीटर जल चाहिये। इससे पीने, नहाने, कपड़े धोने, खाना बनाने, सफाई आदि की जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में पानी का संकट आने वाला है। इसके प्रमुख कारण हैं जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, वर्तमान जलाशयों की उपेक्षा और पानी का दुरुपयोग। रनिंग वाटर की अवधारणा ने पानी को बहुत क्षति पहुंचाई है। एक बार मैं पर्यावरण पुरुष सुन्दरलाल जी बहुगुणा के साथ ठहरा था। मैं शेव कर रहा था और वाशबेसिन का नल खुला था। बहुगुणा जी चिल्लाये 'पानी क्यों बहा रहे हो?' मैंने कहा 'दादा! रनिंग वाटर की आदत है।' उन्होंने टिप्पणी की 'क्या तुम मछली हो?' बहुगुणा जी की टिप्पणी हमें याद रखना है और पानी की एक बूंद भी बरबाद नहीं करना है।

मध्यप्रदेश पर प्रकृति की असीम कृपा है। हमारे यहां नर्मदा, ताप्ती, चम्बल, बेतवा, केन, सिंध आदि नदियां हैं। अभी भी हमारे प्रदेश में असंख्य तालाब, कुएं और बावड़ियां हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों को इनका जीर्णोद्धार करके अपने क्षेत्रों को स्थानीय रूप से जल प्रसंग में स्वावलंबी बनाना चाहिये। हम यह काम कर सकते हैं। हमें पानी चाहिये। हमारे पशुधन को पानी चाहिये। हमारे खेतों को पानी चाहिये। उद्योग धंधों को पानी चाहिये। ऊर्जा उत्पादन के लिये पानी चाहिये। क्या हम पानी के बिना एक दिन भी रह सकते हैं। हमारी एक परंपरागत जल संस्कृति थी जिसमें पानी का अपव्यय, अपराध नहीं माना जाता था। मत्स्य पुराण में तो यहां तक उल्लेख है कि जलाशय को क्षति पहुंचाने वाले को पानी में डुबोकर मृत्युदंड दिया जाये जिसे पुराण की भाषा में तड़ागभेदक अपराध कहते थे। कविवर रहीम का यह दोहा चिंतनीय है :

रहिमान पानी राखिये बिन पानी सब सून।
पानी गये न ऊबरे मोती मानुस चून।।

● **घनश्याम सक्सेना**

पंचायतें : विकास या शासन

पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना से लेकर वर्तमान स्थिति के बीच विभिन्न समिति की सिफारिशें और रिपोर्ट के बाद संविधान संशोधन से लेकर अब तक अनेक परिवर्तन हुए। पंचायत राज व्यवस्था में कहीं न कहीं विकास और शासन का द्वंद्व रहा, क्या वे स्थानीय स्वशासन बन पायी? पंचायती राज व्यवस्था के इसी पक्ष को विस्तारित कर रही हैं - मुक्ति श्रीवास्तव।

पंचायती राज की सीमित प्रभावशीलता का एक बड़ा कारण यह रहा है कि हमेशा उन्हें 'विकास' की इकाई माना गया न कि 'शासन' की - स्थानीय स्वशासन की। संविधान के अनुच्छेद 243 जी (अ) और (ब) में पंचायतों के जितने भी कार्य बताए गए हैं वे सब विकासमूलक हैं। फिर आजादी के इतने वर्षों में हमें याद आना चाहिए कि महात्मा गांधी ने आजादी को 'स्वराज' के रूप में परिभाषित किया था। यह 'स्वराज' प्रथम पीढ़ी की उन नेहरू युगीन पंचायतों से संभव नहीं हुआ जिन्हें बलवंत राय मेहता कमिटी की रिपोर्ट के बाद 'विकास के एजेंट' के रूप में गठित किया गया था। यह 'स्वराज' द्वितीय पीढ़ी की उन पंचायतों से भी नहीं आया जो अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट के बाद 'एक राजनीतिक संगठन' के रूप में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और जम्मू-काश्मीर आदि राज्यों में पनपीं - सन् 1978 के बाद। अब क्या संविधान-संशोधन के बाद आई तीसरी पीढ़ी की ये पंचायतें स्वराज की इकाई बन सकेंगी? अशोक मेहता समिति ने सबसे पहले अधिकृत रूप में पंचायतों को सांविधानिक दर्जा दिलाने की अनुशंसा की थी, लेकिन यह श्रेय एक युवा प्रधानमंत्री को ही मिलना था कि वह उस वृद्ध महात्मा के इस सबसे प्रिय स्वप्न को कोई इबारत दे पाता। किन्तु 'विकास' की भूतग्रस्तता का दुष्परिणाम यह हुआ है कि ये पंचायतें स्थानीय सरकार की अपनी हैसियत मूलक सिर्फ ऊपर से आने वाली विकास राशि को ठिकाने लगाने की सोचती रही हैं। यह बात मुकर्जी और बंधोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल की नई पंचायतों के बारे में भी महसूस की कि पंचायतों की शक्ति चुक गई है और उनका प्रारंभिक उत्साह भी ठंडा पड़ने लगा है। उनके शब्दों में इसका कारण यह है कि The Panchayats in West Bengal had not been conceived as institutions of self-government and they were utilised as mere agencies to implement schemes handed down from above.

जिस गांधीवादी विचारधारा ने स्वशासन पर जोर दिया था, वह नई पंचायतों में इसलिए नहीं दीख पड़ता क्योंकि विकास की 'पूंजी' ने नीचे से सत्ता का अंग बनने की स्वप्नशीलता का गला घोंट दिया है। एक सुविधा का संतुलन मध्यप्रदेश में स्थापित हुआ है जिसके अन्तर्गत स्वशासन की बुनियादी भूख को प्रत्यायोजित पैसे के 'कोरामिन' से संतुष्ट किया जा रहा है। सरपंच को यह सुहाता है कि उसे शासन का उत्तरदायित्व निभाने की जद्दोजहद की बजाय एक 'वर्क्स विभाग' की तरह बरता जा रहा है। किसी स्तर पर ऊपरी राजनीतिक शक्तियों की याचना की पंचायती मुद्रा एक मनोवैज्ञानिक तुष्टि देती है, इसलिए कोई भी बहुत असंतुष्ट नहीं। दासगुप्ता जैसे विद्वान तब जब पश्चिम बंगाल की वर्तमान पंचायतों की चकाचौंध में समानता और जनता के सिद्धांतों पर आधारित पारंपरिक पंचायतों के वर्णन को 'नास्टेल्जिक रोमांटिसिज्म' मानने लगे और एकता व सर्वानुमति वाले ग्रामीण समाज को यूटोपियन, तो समझा जा सकता है कि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्लेषण की सीमाएं कहां और क्या हैं। लेकिन स्वशासन हिन्दुस्तान में घटा एक व्यतीत है, वह सिर्फ यूटोपिया नहीं है और पंचायतों की सार्थकता 'लोकल सेल्फ गवर्नमेंट' के रूप में ही अंतिमतः तय होनी है, न कि पंचायत भवन-रोड-नाली बनाने के लिए अधिकृत एक संस्था के रूप में। सर्वानुमति और समानता यूटोपियन आदर्श नहीं हो सकते यदि पंचायतें सूचना के अधिकार को हर ग्रामीण का मौलिक अधिकार बनाती हैं। एक विकीर्णित (staggered) प्रजातांत्रिक प्रणाली जो कुछ ऐसे व्यक्तियों को नेता चुनता है जो व्यवस्था के संचालन में ब्रोकर या दलाल है, पंचायतों को इस हेतु सक्षम नहीं बना सकती कि वे लोगों को आत्मनिर्णय के लिए शिक्षित बनाएंगी। बैरिंगनट मूर को भारत का पंचायती 'पुनरुत्थान' (रिवाइवल) इसलिए प्रमुख रूप से 'रोमांटिक रहैटारिक' लगता है। इस

विकीर्णित प्रजातांत्रिक प्रणाली के चलते ग्राम पंचायतों में वे लोग चुनकर ही नहीं आ पाते जिन्हें 'आर्गेनिक इंटेलेक्चुअल' कहा जाता है- कबीर जैसे लोग, दादू, रैदास, पीपा, धन्ना जैसे जो समाज के दरिद्रतम वर्गों में से आते हैं। ब्रोकर शैली के लोगों से वह समाजोन्मुक्ति संभव ही नहीं है जो गांधी जी का मूल मन्तव्य था। क्योंकि इस शैली में तो बहुत कुछ संगोपन है, बहुत कुछ छुपाना है। इसके चलते पंचायतों में कमजोरों का प्रतिनिधित्व तो हो जाता है, कमजोरों का नियंत्रण नहीं और ये कमजोर वहां अपने ही वर्गों के शोषण के समर्थन पर अनपढ़ अंगूठे भी लगा देते हैं। तब यह हो सकता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के गांव में ही एक आध करोड़ रुपए के काम स्वीकृत हो जाएं। तब यह हो सकता है कि गांव में सड़क सरपंच के घर को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए बने।

ये उदाहरण ब्रोकर किस्म के चलते पुर्जे लोगों के हैं। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मध्यप्रदेश की पंचायती राज प्रणाली में बस ये ही लोग हैं। लेकिन जो अच्छे उदाहरण भी हैं उनमें तक जे.आर.वाय. फिक्सेशन (व्यामोह) देखकर दुख होता है। बिहार ने इस व्यामोह को कम करने के लिए किस्तों का बुखार उतारा है। वहां 1997-98 से जवाहर रोजगार योजना की समूची राशि वर्ष में एक ही बार भेजने का निर्णय लिया गया है। वैसा म.प्र. में तो हुआ नहीं, जो हुआ उससे कई जगह पंचायतें 'स्थानीय सरकार की जगह छोटी सरकार' नजर आती हैं।

यदि म.प्र. के 1998 के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण में पंचायतों को दिए जा चुके समस्त स्त्रोतों को संकलित कर प्रति पंचायत औसत निकालें तो करीबन एक लाख छब्बीस हजार रुपए का परिव्यय आता है। यह अनुदान भी एक बहुत पंच-पक्षधर सरकार के कारण है। लेकिन मात्र सवा लाख रुपये में क्या पिद्दी क्या पिद्दी का शोरबा? रास्को मार्टिन ने 1957 में ऐसी छोटी सरकारों को नौसीखिया (अमेच्योर), चलताऊ (कैजुअल), अत्यन्त व्यक्तिगत यहां तक कि मिल्कियती (प्रोप्रायटरी) सरकारें कहा था। (ग्रासरूट्स 1957)

एचआईव्ही और एड्स

एचआईव्ही एक वायरस (विषाणु) है, जबकि इस वायरस के कारण उत्पन्न होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं एवं बीमारियों के लक्षणों के समूह को एड्स कहते हैं। अतः एड्स बीमारी की एक अवस्था है, जबकि एचआईव्ही एक वायरस है, जिसके कारण एड्स होता है।

एचआईव्ही (HIV)

H ह्यूमन - मानव
I इम्यूनो डेफीशिएन्सी - रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी
V वायरस - विषाणु

एड्स (AIDS)

A एक्वायर्ड - प्राप्त किया
I इम्यूनो - प्रतिरक्षा, बीमारी से बचाने वाली ताकत
D डेफीशिएन्सी - कमी
S सिन्ड्रोम - लक्षणों का समूह

एचआईव्ही का संक्रमण

एचआईव्ही संक्रमण कैसे होता है?

एक व्यक्ति से दूसरे में एचआईव्ही संक्रमण के चार कारण होते हैं-

- असुरक्षित यौन संबंधों से
- एचआईव्ही संक्रमित रक्त से
- एचआईव्ही संक्रमित सुईयों/सीरिंजों के उपयोग से
- एचआईव्ही संक्रमित माता से नवजात बच्चे को

बचाव कैसे करें?

- सुरक्षित यौन संबंध रखें, कण्डोम का उपयोग करें।
- आवश्यकता होने पर लायसेंसशुदा रक्तकोष से सुरक्षित रक्त लें।
- डिस्पोजेबल सुई, सीरिंजों का उपयोग करें।
- गर्भवती मां की एचआईव्ही जांच एवं आवश्यक उपचार कराएं।

एचआईव्ही संक्रमण इस तरह नहीं होता है

- खांसने, छींकने एवं हवा के माध्यम से।
- सार्वजनिक फोन का इस्तेमाल करने से।
- एक ही कमरे में बैठने या सोने से।
- एक दूसरे के कपड़े का इस्तेमाल करने से।
- इसी तरह मच्छर के काटने, संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने, बातें करने, हाथ मिलाने, गले लगाने, घूमने फिरने, एक स्नानघर या स्वीमिंगपूल का इस्तेमाल करने आदि से भी एचआईव्ही का वायरस नहीं फैलता है। (इसलिए एचआईव्ही संक्रमित व्यक्ति से भेदभाव करना ठीक नहीं है।)

एड्स के लक्षण

एचआईव्ही संक्रमण वाले लोगों में प्रारंभ के कई साल तक बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, किन्तु कुछ वर्षों के बाद उनमें विभिन्न बीमारियों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जो एड्स की स्थिति बनाते हैं।

मुख्य लक्षण

- एक माह में बिना किसी स्पष्ट कारण के शरीर वजन में 10 प्रतिशत से अधिक की कमी।
- एक महीने से अधिक समय तक लगातार या रुक-रुक कर बुखार रहना।
- एक माह से अधिक समय तक रुक-रुक कर या लगातार होने वाले दस्त (डायरिया)।
- गंभीर क्षय रोग (टी.बी.) का होना।
- सांस लेने में परेशानी होना (घातक निमोनिया)।

सामान्य लक्षण

- एक माह से अधिक समय तक लगातार खांसी बनी रहना।
- खाना निगलने में कठिनाई महसूस होना।
- लगातार सिरदर्द रहना।
- खाज एवं खुजली, हरपीज जोस्टर, ओरल-कैंडिडियासिस।
- लसिका ग्रंथियों में सूजना आना आदि।

महत्वपूर्ण - उपरोक्त लक्षणों में से यदि किसी व्यक्ति में दो मुख्य लक्षण या एक सामान्य लक्षण पाया जाये तो यह उसमें एड्स की उपस्थिति को दर्शाता है किन्तु एचआईव्ही की जांच किये बिना केवल लक्षणों के आधार पर एड्स की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

एचआईव्ही संक्रमण की जांच

एचआईव्ही की जांच क्यों आवश्यक है?

- इससे अनावश्यक भय व चिंता का समाधान हो जाता है।
- एचआईव्ही संक्रमित पाए जाने पर उचित देखभाल एवं स्वस्थ जीवन के लिए।
- एचआईव्ही संक्रमित नहीं पाए जाने पर भविष्य में भी संक्रमित न होने के लिए।
- नवजात बच्चों में होने वाले संक्रमण की रोकथाम के लिए।

आई.सी.टी.सी. (एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र) केन्द्र कहां हैं?

- सभी जिला अस्पतालों में।
- सभी मेडीकल कॉलेजों में।
- कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में।
- कुछ सिविल अस्पतालों में।

एचआईव्ही की जांच किसे करवानी चाहिए?

- यौन रोग (गुप्त रोग) से पीड़ित व्यक्ति को।
- एक से अधिक व्यक्तियों के साथ असुरक्षित यौन संबंध होने पर।
- सुई और सीरिंजों के माध्यम से नशा करने वालों को।
- यदि बिना एचआईव्ही की जांच किया गया रक्त चढ़ाया गया हो।
- यदि टी.बी. से पीड़ित हैं और सामान्य उपचार से ठीक नहीं हो रहे हैं।
- गर्भवती महिलाएं।
- ऐसे पुरुष-समलैंगिक जिनके एक से अधिक व्यक्तियों से यौन संबंध हों।

एचआईव्ही जांच के दौरान बातें विशेष रूप से ध्यान में रखी जाती हैं।

- व्यक्ति की रिपोर्ट गोपनीय रखी जाती है।
- जांच के पहले एवं जांच के बाद भी परामर्श दिया जाता है।
- व्यक्ति की आवश्यकता एवं स्थिति के अनुसार उसे अन्य सेवा केन्द्रों में रिफर भी किया जाता है।
- परामर्श एवं जांच पूर्णतः निःशुल्क है।

एचआईव्ही के साथ स्वस्थ जीवन (ए.आर.टी.)

ए.आर.टी. केन्द्र क्या है?

एन्टी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट या ए.आर.टी. केन्द्र का मतलब है ऐसे केन्द्र जहां एचआईव्ही संक्रमित व्यक्तियों एवं एड्स पीड़ितों को निःशुल्क परामर्श एवं एचआईव्ही/एड्स से उपचार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहां मिलने वाली ए.आर.टी. दवाओं से एचआईव्ही/एड्स संक्रमित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है और एचआईव्ही वायरस के बढ़ने की गति को धीमा किया जाता है।

मध्यप्रदेश में ए.आर.टी. केन्द्र :

- एम.जी.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर
- गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
- आर.डी. गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय, उज्जैन
- गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर
- श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा
- जिला चिकित्सालय, खण्डवा

इन केन्द्रों पर मरीजों हेतु निःशुल्क परामर्श की व्यवस्था भी है, जिससे एड्स से प्रभावित व्यक्तियों को बीमारी से मुकाबला करने में मानसिक रूप से मदद मिलती है।

ए.आर.टी. केन्द्रों पर उपलब्ध सेवाएं :

- निःशुल्क परामर्श एवं एंटी रिट्रोवायरल दवाईयां
- निःशुल्क सी.डी. 4 की जांच सुविधा
- गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कर तत्काल इलाज प्रदान किया जाता है।
- अवसरवादी संक्रमण की जांच, उपचार एवं रेफरल
- प्रजनन अंगों के संक्रमण की जांच, यौन रोगों एवं अन्य संक्रमण हेतु रेफरल
- प्रतिमाह मरीजों का फॉलोअप एवं दवा वितरण।

ए.आर.टी. लेने के लाभ

सही समय पर ए.आर.टी. उपचार लेने से प्रमुख रूप से निम्नलिखित लाभ होते हैं :

- वायरस की गति को धीमा कर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है।
- ए.आर.टी. लेने से संक्रमित व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। वे बार-बार बीमार नहीं पड़ते हैं।
- परिवार के लिये आय अर्जित कर सकते हैं क्योंकि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है।
- ए.आर.टी. लेने के बाद होने वाले लाभों से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है व निराशा समाप्त होती है।

माता-पिता से बच्चों में होने वाले एचआईव्ही संक्रमण की रोकथाम (पी.पी.टी.सी.टी. कार्यक्रम)

नवजात शिशु में संक्रमण?

यदि कोई गर्भवती महिला एचआईव्ही संक्रमित है तो उसके नवजात शिशु को एचआईव्ही संक्रमण हो सकता है। यह संक्रमण :

- गर्भावस्था के दौरान।
- प्रसव या जचकी के समय।
- स्तनपान कराने से (मां का दूध पीने से) बच्चों में पहुंच सकता है।
- माता-पिता से नवजात शिशु में होने वाले एचआईव्ही संक्रमण को रोकने के लिए संचालित कार्यक्रम को पी.पी.टी.सी.टी. 'प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन' (माता-पिता से बच्चों में होने वाले संक्रमण से बचाव) कहा जाता है।
- इन केन्द्रों में गर्भवती माताओं को परामर्श प्रदान कर उनकी सहमति उपरांत एचआईव्ही जांच करवाई जाती है।
- बच्चे में एचआईव्ही संक्रमण को रोकने के लिए नेवरापिन दवा की खुराक गर्भवती महिला को प्रसव के पहले तथा नवजात शिशु को जन्म के 72 घंटों के अंदर दी जाती है।

पी.पी.टी.सी.टी. केन्द्र कहां पर हैं?

भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, रीवा एवं जबलपुर मेडीकल कॉलेजों के स्त्री रोग विभाग में ये केन्द्र संचालित हैं। इसके साथ ही सभी आईसीटीसी केन्द्रों में भी पी.पी.टी.सी.टी. सेवाएं उपलब्ध हैं।